46

लक्षद्वीप द्वीपसमूह में बिजली का उत्पादन और वितरण

गृह मंत्रालय

लोक लेखा समिति
(2021-22)

छियालीसवां प्रतिवेदन

सत्रहवीं लोक सभा

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

पीएसी सं. 2274

छियालीसवां प्रतिवेदन

लोक लेखा समिति
(2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

लक्षद्वीप द्वीपसमूह में बिजली का उत्पादन और वितरण

गृह मंत्रालय

सत्यमेव जयते

16-03-2022.......को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

16-03-2022.......को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943 (शक)

विषय-सूची

पृष्ठ

लोक लेखा समिति (2021-22) की संरचना - (ii)

लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति- एक (सिविल) की संरचना - (iii)

प्राक्कथन - (iv)

प्रतिवेदन

भाग - एक

एक. प्रस्तावना

दो. लक्षद्वीप द्वीपसमूह का विद्युतीकरण। - 1

तीन. लेखापरीक्षा निष्कर्ष। - 1

चार. डीजी सेटों की अधिक क्षमता के लिए अपर्याप्त औचित्य। - 2

पाँच. थोक तेल भंडारण सुविधाओं का शुरू नहीं होना और पारगमन में होने वाले नुकसान। - 2

छह. डीजल को जारी करने तथा खपत के बीच विसंगतियां। - 5

सात. मानदंडों से अधिक डीजल की खपत। - 9

आठ. उच्च ट्रांसमिशन तथा संवितरण हानियों के कारण परिहार्य व्यय। - 11

नौ. सौर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) संयंत्र पर निष्फल व्यय। - 14 - 16

दस. आवश्यकता के बावजूद ऊर्जा लेखापरीक्षा न करना। - 19

ग्यारह. विद्युतीकरण हेतु वैकल्पिक पद्धतियों की खोज करने की आवश्यकता। - 20

भाग – दो

टिप्पणियां/सिफारिशें

परिशिष्ट

एक. लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति- एक (सिविल) की 01.09.2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश। 37-38

दो. लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति- एक (सिविल) की 07.10.2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश। 39-40

तीन. लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति- एक (सिविल) की 08.02.2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश। 41-42

चार. लोक लेखा समिति (2021-22) की 10.02.2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश। 43-44

लोक लेखा समिति (2021-22) की संरचना

श्री अधीर रंजन चौधरी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री टी.आर. बालू
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
4. श्री सुधीर गुप्ता
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री जगदम्बिका पाल
7. श्री विष्णु दयाल राम
8. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी *
9. श्री राहुल रमेश शेवाले
10. श्री जी. एम. सिद्देश्वर **
11. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'
12. डॉ. सत्यपाल सिंह
13. श्री जयंत सिन्हा
14. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
15. श्री राम कृपाल यादव

राज्य सभा

16. श्री शक्तिसिंह गोहिल
17. श्री भुवनेश्वर कालिता
18. डॉ. सी.एम. रमेश
19. श्री सुखेन्दु शेखर राय
20. डॉ. एम. थंबीदुरई
21. श्री वि. विजयसाई रेड्डी #
22. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ##

सचिवालय

1. श्री टी. जी. चन्द्रशेखर - संयुक्त सचिव
2. श्री तीर्थंकर दास - निदेशक
3. श्रीमती अंजु कुकरेजा - उप सचिव
4. श्री शिव शंकर प्रधान - कार्यकारी अधिकारी

---

*श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, संसद सदस्य को दिनांक 07.07.2021 को राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण उनके स्थान पर दिनांक 29.07.2021 से निर्वाचित।

**श्री अजय मिश्र टेनी, संसद सदस्य को दिनांक 07.07.2021 को राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण उनके स्थान पर दिनांक 29.07.2021 से निर्वाचित।

श्री राजीव चन्द्रशेखर, संसद सदस्य को दिनांक 07.07.2021 को राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण उनके स्थान पर दिनांक 09.08.2021 से निर्वाचित।

श्री भूपेन्द्र यादव, संसद सदस्य को दिनांक 07.07.2021 को केंद्रीय मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण उनके स्थान पर दिनांक 09.08.2021 से निर्वाचित।

लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति- एक (सिविल) की संरचना

1. श्री अधीर रंजन चौधरी - सभापति
2. श्री शक्तिसिंह गोहिल - संयोजक
3. श्री टी.आर. बालू - सदस्य
4. श्री सुधीर गुप्ता - सदस्य
5. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी* - सदस्य
6. श्री राहुल रमेश शेवाले - सदस्य

---

*श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, संसद सदस्य को दिनांक 07.07.2021 को राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण उनके स्थान पर दिनांक 29.07.2021 से निर्वाचित।

प्राक्कथन

मैं, लोक लेखा समिति (2021-22) का सभापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर, उनकी ओर से गृह मंत्रालय से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं.8 के पैरा 2.13 पर आधारित "लक्षद्वीप द्वीपसमूह में बिजली का उत्पादन और वितरण" विषय संबंधी यह छियालीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं।

2. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं. 8 को 24.03.2021 को सभा पटल पर रखा गया था।

3. लोक लेखा समिति (2021-22) ने उपर्युक्त विषय का चयन किया और उप-समिति-एक (सिविल) को इसे जांच करने और प्रतिवेदन तैयार करने हेतु सौंपा।

4. लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति-एक (सिविल) को दिनांक 01.09.2021 को लेखापरीक्षा द्वारा जानकारी प्रदान की गई। तत्पश्चात, उप-समिति ने दिनांक 07.10.2021 को उपर्युक्त पैरा के संबंध में गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

5. लोक लेखा समिति की उप-समिति-एक (सिविल) ने दिनांक 08.02.2022 को हुई अपनी बैठक में उपर्युक्त पैरा से संबंधित प्रारूप प्रतिवेदन पर पहले विचार किया और इसे स्वीकृत किया। तत्पश्चात, प्रारूप प्रतिवेदन को मुख्य समिति के समक्ष विचारार्थ और स्वीकार करने हेतु रखा गया। समिति ने दिनांक 10.02.2022 को हुई अपनी बैठक में इसे स्वीकार किया। बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रतिवेदन में संलग्न हैं।

6. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है और ये प्रतिवेदन का भाग – दो हैं।

7. समिति, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा समिति के समक्ष साक्ष्य देने और विषय की जांच के संबंध में उप-समिति-एक (सिविल) को अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उनको धन्यवाद देती है।

8. समिति, इस मामले में समिति सचिवालय और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा उनको दी गई सहायता की भी सराहना करती है।

नई दिल्ली;
मार्च, 2022
फाल्गुन, 1943 (शक)

अधीर रंजन चौधरी
सभापति,
लोक लेखा समिति

भाग - एक
प्रतिवेदन

प्रस्तावना

1. लक्षद्वीप, अरब सागर में स्थित 36 छोटे-छोटे द्वीपों (10 आबादी वाले द्वीप, 17 निर्जन द्वीप, 04 नए बने छोटे-छोटे द्वीप और 05 जलमग्न विशालकाय चट्टान भित्ति) से बना 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला एक संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) है। ये द्वीप मुख्यभूमि से और साथ ही, एक-दूसरे से भी अलग-अलग हैं। ये द्वीप केरल के तटीय शहर कोच्चि से लगभग 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह की स्थिति देश के किसी भी अन्य हिस्से से अनूठी और अलग है। इन द्वीपों की प्रमुख कठिनाई भौगोलिक रूप से अलग-अलग होना और मुख्य भूमि तक पहुंच न होना है।

लक्षद्वीप द्वीपसमूह का विद्युतीकरण

2. लक्षद्वीप द्वीपसमूह का विद्युतीकरण दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। 1983 से सभी द्वीपसमूहों में चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति की जाती है। लक्षद्वीप विद्युत विभाग (एलईडी) की समेकित उपयोगिता है। जैसा कि जेईआरसी (टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2009 के विनियम 2(9) में परिभाषित है, यह केंद्र शासित प्रदेश में बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए जिम्मेदार है। मुख्य भूमि से दूरी के कारण, लक्षद्वीप पूरी तरह से डीजल जेनरेटर (डीजी) सेटों के माध्यम से (95%) और आंशिक रूप से ग्रिड इंटरएक्टिव सोलर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) बिजली संयंत्रों के माध्यम से बिजली की आपूर्ति के लिए अपने स्वयं के उत्पादन पर निर्भर है। इन द्वीपसमूहों की भौगोलिक और स्थलाकृतिक विशिष्टताओं सहित काफी दूरी पर समुद्र में अलग होने के कारण, कोई एकीकृत पावर ग्रिड नहीं है। इसके बजाय प्रत्येक स्थान पर एक बिजली घर अलग-अलग द्वीपसमूहों की बिजली की जरूरतों को स्वतंत्र रूप से पूरा करता है। 2015-16 में कुल स्थापित क्षमता 24,010 किलोवाट (21,860 किलोवाट के 46 डीजी सेट और 2,150 किलोवाट के 11 एसपीवी) थी। डीजी सेटों की स्थापित क्षमता 60 किलोवाट और 1,600 किलोवाट के बीच थी। कवरत्ती एलईडी का मुख्यालय है, और इसके प्रमुख एक कार्यकारी अभियंता हैं।

3. यह प्रतिवेदन "लक्षद्वीप द्वीपसमूह में बिजली का उत्पादन और वितरण" विषय पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन संख्या 8 के पैरा 2.13 पर आधारित है।

4. लोक लेखा समिति (2021-22) ने विस्तृत जांच और रिपोर्ट के लिए विषय का चयन किया। इस मामले की विस्तृत जांच के लिए एक उप समिति का गठन किया गया था। उप-समिति ने गृह मंत्रालय से पृष्ठभूमि सामग्री और लिखित उत्तर प्राप्त किए। उन्होंने 1 सितंबर, 2021 को इस विषय पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधिकारियों से संक्षिप्त

जानकारी प्राप्त की है। उप-समिति ने उक्त विषय पर 7 अक्टूबर, 2021 को गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य भी लिए। गृह मंत्रालय के इन मौखिक और लिखित साक्ष्यों के आधार पर, उप-समिति ने इस विषय की विस्तार से जांच की।

<u>लेखापरीक्षा निष्कर्ष</u>

5. लेखापरीक्षा ने इस विषय की जांच में निम्नलिखित कमियां पाईं।

(i) सभी द्वीपसमूहों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता (47% - 89%)।

(ii) कुछ द्वीपसमूहों में मांग में तेज गिरावट।

(iii) कवरत्ती (दिसंबर 2014) और मिनिकॉय (मार्च 2016) में क्रमशः ₹ 7.37 करोड़ और 10.48 करोड़ रूपए की लागत से पूरी की गई थोक तेल भंडारण सुविधाओं को चालू नहीं किया जाना।

(iv) थोक भंडारण सुविधाओं के नहीं होने और ऑयल बार्ज की अनुपलब्धता के कारण बेपोर, कालीकट से बैरल में डीजल के परिवहन के परिणामस्वरूप ₹ 2.65 करोड़ की पारगमन हानि हुई।

(v) डीपीआर के मानकों (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार प्रति किलोवाट घंटे में 0.28 से 0.30 लीटर ईंधन)के विपरीत, एलईडी ने 2.84 करोड़ रुपये के ईंधन (0.31 से 0.38 लीटर ईंधन प्रति किलोवाट घंटे) की खपत की है। .

(vi) 2004 की डीपीआर ने दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के अंत तक टी एंड डी हानियों को 10.8 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करने के लिए पूरा जोर देने की सिफारिश की। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में विफलता के कारण केवल चार द्वीपसमूहों के संबंध में 10.38 करोड़ रूपए की टी एंड डी हानि हुई।

(vii) 12 एसपीवी संयंत्रों में से चार एसपीवी तीन साल से अधिक समय से काम नहीं कर रहे हैं और दो का नवीनीकरण चल रहा था।

(viii) जेईआरसी टैरिफ विनियम, 2009 के उल्लंघन में, टी एंड डी हानियों के अपने अनुमान को प्रमाणित करने और जेईआरसी को छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एलईडी द्वारा कोई ऊर्जा लेखापरीक्षा नहीं की गई की गई।

(ix) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने (जून 2006) नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय स्रोत से यूटीएल में पर्यावरण के अनुकूल और सस्ती उत्पादन विधियों को अपनाने के लिए उपाय तलाशने का अनुरोध किया था ।

6. समिति ने अपने प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए उपरोक्त मुद्दों की गहराई से जांच की है। इसकी विस्तृत चर्चा आगे के पैराग्राफों में की गई है:

<u>I. डीजी सेटों की अधिक क्षमता के लिए अपर्याप्त औचित्य</u>

7. एलईडी भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित बिजली उत्पादन और वितरण प्रबंधन प्रणाली (पीजीडीएमएस) सॉफ्टवेयर के माध्यम से मांग का अनुमान लगाता है।

8. लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि सभी द्वीपसमूहों की क्षमता अधिक थी, अधिकतम 47 प्रतिशत (किल्टन) और 89 प्रतिशत (बित्रा) के बीच थी। यह भी देखा गया कि मांग के बढ़ते रुझान की सामान्य अपेक्षा के मुकाबले, कुछ द्वीपसमूहों में कुछ वर्षों में तेज गिरावट आई। एलईडी ने सूचित किया कि यह अंतर भूस्थल पर अलग-अलग जलवायु परिस्थितियों और एक डीजी से दूसरे में परिवर्तन के समय दो डीजी के समानांतर चलने के कारण उत्पन्न हुए थे। एलईडी की ओर से यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) इस समय उत्पादन के बजाय उपभोग के आधार पर अधिकतम मांग को रिकॉर्ड करने के लिए सॉफ्टवेयर में संशोधन कर रहा है। जहां तक अत्यधिक क्षमता का सवाल है, एलईडी की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि बिजली गुल होने के कारण अंधकार से बचने के लिए अतिरिक्त मशीनों की आवश्यकता है, जलवायु परिस्थिति आदि की वजह से डीजी सेटों की विफलता भी बार-बार रहती है और उनके कारण पुर्जों की स्थानीय स्तर पर अनुपलब्धता से उनकी मरम्मत में कठिनाई आती है। लेखा परीक्षा में पाया गया कि जवाब संतोषजनक नहीं है। एलईडी मरम्मत आदि की वजह से डीजी सेटों के रूके रहने का केंद्रीकृत रिकॉर्ड नहीं रखता है, और यह रिकॉर्ड केवल सब-डिविजनों में होता है। साथ ही, जलवायु की परिस्थितियां और परिवर्तन की आवश्यकता वर्ष-दर-वर्ष नहीं बदलती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एलईडी का अलग-अलग द्वीपों में डीजी सेटों के खरीदने व उन्हें स्थापित करने का निर्णय ऐसे सेटों के डाउनटाइम रिकॉर्ड से स्वतंत्र होता है और यह सुनिश्चित करने की कोई व्यवस्था नहीं है कि डीजी सेट वास्तविक जरूरत के आधार पर स्थापित किए जाएं।

9. उपरोक्त लेखापरीक्षा टिप्पणी के उत्तर में, गृह मंत्रालय ने लेखापरीक्षा को अपने लिखित उत्तर (दिनांक 09-08-2017) में निम्नानुसार बताया :

- लेखापरीक्षा टिप्पणी में अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना में लक्षद्वीप की अद्वितीय भौगोलिक स्थिति को ध्यान में नहीं रखा गया।
- रियल पावर अंकड़े इंजन के नेम प्लेट विवरण (केडब्ल्यू) के तहत हैं।
- विभाग को एनटीपीसी द्वारा आपूर्तिकर्ता को जारी एलओए (लेटर ऑफ अवार्ड) में उल्लेखित क्षमता से अधिक इंजन लोड करने की अनुमति नहीं है।
- कवरत्ती और मिनिकॉय में डीजी की स्थापित क्षमता 1600 किलोवाट के बजाय 1000 किलोवाट है। अगत्ती और किल्टन के लिए 400 किलोवाट, कल्पेनी, चेतलाट और कदमत प्रत्येक के लिए 250 किलोवाट और एंड्रोथ और अमिनी के लिए 750 किलोवाट।
- कुल स्थापित क्षमता केवल 21,860 किलोवाट है, न कि 27,565 किलोवाट; जैसा कि नेम प्लेट में उल्लेख किया गया है।

बिजली गुल हो जाने के कारण अंधकार से बचने के लिए अतिरिक्त मशीनों की आवश्यकता थी। चूंकि जलवायु परिस्थितियों के कारण अक्सर डीजी सेट फेल होते थे और स्थानीय स्तर पर ओईएम सेवा इंजीनियरों और ओईएम पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण उनकी मरम्मत मुश्किल होती है।

- इसके अलावा, एलओए में उल्लिखित क्षमताओं की तुलना में काफी अधिक क्षमता वाले डीजी सेटों की खरीद के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, गृह मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि डीजी सेटों की खरीद अनुमोदित मानदंडों/दिशानिर्देशों पर आधारित होती है और खरीद एनटीपीसी के माध्यम से की जाती है।

10. यह पूछ जाने पर कि क्या अतिरिक्त क्षमता की खरीद किसी अनुमोदित मानदंडों/दिशानिर्देशों पर आधारित होती है, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"उत्पादन क्षमता में वृद्धि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के आधार पर की जाती है और विद्युत मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या 39/4/2004-आर एंड आर दिनांक 02.08.2005 के माध्यम से भी मंजूरी दी गई थी, जो रिकॉर्ड में उपलब्ध है ।"

11. इस संबंध में मंत्रालय ने आगे निम्नानुसार बताया :

"प्रस्तावित कुछ डीजी सेटों को प्रशासनिक कारणों से फेज आउट नहीं किया जा सका और इसे विद्युत उत्पादन और वितरण प्रबंधन प्रणाली (पीजीडीएमएस) में अद्यतन नहीं किया गया था।

विभाग को डीजी सेटों के खराब होने के कारण अप्रत्याशित परिस्थितियों में कुछ फेज्ड आउट डीजी सेट संचालित करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप कुछ द्वीपों में अतिरिक्त क्षमता हो गई।""

12. समिति को डीजी सेटों की अतिरिक्त क्षमता से बचने के लिए की गई कार्रवाई की वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत कराते हुए गृह मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया :

- "संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में बिजली क्षेत्र में सुधार चल रहे हैं। इनमें निजीकरण, नवीकरणीय और नवीन ऊर्जा का उपयोग, स्मार्ट मीटर आदि शामिल हैं।
- विद्युत मंत्रालय ने अगस्त 2005 में डीजी क्षमता बढ़ाने को मंजूरी दी और एनटीपीसी ने इस परियोजना को क्रियान्वित किया। आपूर्ति की अवधि/शर्त किसी भी 12 घंटे की अवधि में 1 घंटे के लिए 10% ओवरलोड के साथ परिवर्तनीय लोड पर निरंतर चलने की थी। इस नियम को पूरा करने के लिए, बोलीदाता ने डीजी सेट के पूरे जीवन काल में उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए उच्च रेटिंग उद्धृत की।
- लेखापरीक्षा ने गलत तरीके से नेम प्लेट विवरण को स्थापित क्षमता के रूप में माना, जिससे यह प्रतीत होता है कि विभाग ने अधिक क्षमता स्थापित की थी।

- के डब्लू एच से "मांग से रूप दैनिक"का संशोधन अब किया गया है।"

दो. थोक तेल भंडारण सुविधाओं का शुरू नहीं होना और पारगमन में होने वाले नुकसान

13. लेखापरीक्षा में पाया गया कि एलईडी अपने डीजी सेटों में सालाना लगभग 139 लाख लीटर डीजल का उपयोग करता है। डीजल को बेपोर और कालीकट से द्वीपों तक 200 लीटर बैरल में बार्ज पर ले जाया जाता है, जब वे मल्टी प्वाइंट हैंडलिंग और बैरल परिवहन के कारण द्वीपों तक पहुंचते हैं तो अक्सर लीक हो जाते हैं। हालांकि कवरत्ती (दिसंबर 2014 7.37 करोड़ रुपये में) और मिनिकॉय (मार्च 2016 10.48 करोड़ रुपये) में थोक तेल भंडारण सुविधाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन ऑयल बार्ज की अनुपलब्धता के कारण उन्हें आज तक चालू नहीं किया गया है। थोक भंडारण सुविधाओं की अनुपस्थिति और बैरल में डीजल के परिवहन के परिणामस्वरूप पारगमन में नुकसान हुआ है। चोरी से होने वाले नुकसान से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

14. इस संबंध में ब्यौरे नीचे दिए गए है:

वर्ष	प्रेषित प्रमात्रा (लीटर लाख में)	प्राप्त प्रमात्रा (लीटर लाख में)	परिवहन में हानि (लीटर लाख में)	प्रति लीटर लागत (रू.)	हानि (रू. करोड़ में)
2013-14	133.37	131.73	1.64	59.15	0.97
2014-15	147.24	145.55	1.69	53.16	0.90
2015-16	147.95	146.25	1.7	45.80	0.78
कुल	**428.56**	**423.53**	**5.03**		**2.65**

15. कवरत्ती और मिनीकॉय में थोक तेल भंडारण सुविधाओं की शुरूआत करने में विलंब के कारणों का स्पष्टीकरण करते हुए गृह मंत्रालय ने (दिनांक 09-08-2017 के उत्तर में) निम्नवत बताया:

"कवरत्ती और मिनीकॉय में थोक तेल भंडारण सुविधाओं को चालू करने में विलंब का कारण द्वीप की स्थितियों के लिए उपयुक्त ऑयल बार्ज की अनुपलब्धता है। पेट्रोलियम उत्पादों के लिए भंडारण सुविधा के निर्माण हेतु मैसर्स आईओसीएल और यूटीएल प्रशासन के बीच दिनांक 06.04.2004 को हुए प्रारंभिक समझौते के अनुसार द्वीपों मे आवागमन प्रशासन की जिम्मेदारी है। अतः बंदरगाह विभाग को 1000 किलो लीटर क्षमता के तेल टैंकर के अधिग्रहण का काम सौंपा गया था, जबकि बिजली विभाग ने मिनीकॉय और कवरत्ती में सुविधा की स्थापना की थी। विशेष रूप से लक्षद्वीप के लिए 1000 किलो लीटर ऑयल बार्ज संदर्शी योजना में था, परंतु निविदा की विफलता सहित विभिन्न प्रशासनिक कारणों से अभी तक इस योजना पर अमल नहीं किया गया है। विभाग विनिर्देशों में बदलाव के साथ इसकी फिर से निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया में है।

इसके अलावा, वर्तमान में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दो प्रस्तावकों की अस्थायी सेवाएं अग्रेषित की है, जिनके नाम इटीएचआईएचएडी क्यू-88 और एमटी शुम्तु

मैरी-88 है, और उनमें 2.5 मीटर से अधिक ड्राफ्ट है। पत्तन निदेशक ने दिनांक 18.05.2017 के अपने पत्र संख्या 13/6/2015-पोर्ट (ओपी 1) (1) के तहत पुष्टि की कि उपर्युक्त दो जहाजों के ड्राफ्ट सुरक्षित सीमा यानी 2.5 मीटर से अधिक हैं और तदनुसार आईओसीएल को सूचित किया। उसके बाद आईओसीएल ने फिर से टेंडर दिया और तीन जहाजों अर्थात एमटी इटीएचआईएचएडी क्यू -88, एमटी टीबीएन (पूर्व नाम एमटी शुन्यो मारू सं. 8) और एमटी हे यिन की पेशकश की, जिनके पास 2.5 मीटर से अधिक ड्राफ्ट हैं और जिन्हें टन भार को कम करके प्रचालित किया जा सकता है और 2.5 मीटर पर ड्राफ्ट को बनाए रखने के लिए पत्तन निदेशक ने दिनांक 12.06.2017 के अपने पत्र एफ.सं. 13/6/2015-पोर्ट (ओपी1) के तहत कहा कि यदि ड्राफ्ट 2.5 मीटर पर बनाए रखा जाता है तो जहाज को पश्चिमी किनारे की जट्टियों में प्रचालित किया जा सकता है और आईओसीएल को तदनुसार सूचित किया गया था। इस बीच, कोच्चि से कवरत्ती और मिनीकॉय तक पीओएल उत्पादों के परिवहन के लिए विचारार्थ 750 एमटी के साथ एस.5 मीटर ड्राफ्ट वाले जहाज का एक प्रस्ताव इंडो शिपयार्ड त्रिपुनिथुरा कोचिन से दिनांक 15.05.2017 पत्र संख्या यूएस/एलइबी/192/2017 के तहत सीधे प्राप्त हुआ। उक्त बार्ज विनिर्देशनों के साथ प्रस्ताव को निदेशक पत्तन को फ़ाइल के माध्यम से अग्रेषित किया गया था और डायरेक्टर पोर्ट ने सूचित किया कि यह सुरक्षित सीमा के भीतर है एवं कवरत्ती और मिनीकॉय में वेस्टर्न साइड जेट्टी में प्रचालन/बर्थिंग के लिए पोर्ट मापदंडों के अनुरूप है। इस कार्यालय के दिनांक 15.06.2017 के पत्र एफ.सं. 66/8/1/2015-ईएलई के तहत पत्तन निदेशक की टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव आईओसीएल को आगे जांच और उनके विचारार्थ भेजा गया है। इसके अलावा 200 मीट्रिक टन क्षमता और 2 मीटर ड्राफ्ट वाले एक छोटे जहाज का एक और प्रस्ताव टीसा नेविगेशन से भी प्राप्त हुआ और इस मामले की जांच की जा रही है। विभाग को उम्मीद है कि जल्दी ही इस मामले को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। "

16. इसके अतिरिक्त, परिवहन के दौरान हुए नुकसान के संबंध में, मंत्रालय ने निम्नवत बतायाः

"एचएसडी तेल के मामले में तब तक परिवहन के दौरान नुकसान होता रहेगा जब तक विभाग बैरल के माध्यम से परिवहन पर निर्भर रहने के लिए बाध्य है। यह सच है कि एचएसडी तेल का परिवहन एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है जिसमें मुख्य भूमि, गहरे समुद्र और द्वीपों में कई कार्य शामिल हैं। इसके अलावा, द्वीपों में बैरल में डीजल का भंडारण भी उच्च संक्षारक वातावरण के कारण एक बड़ा खतरा है। वैज्ञानिक तरीके से एचएसडी तेल के परिवहन और भंडारण के लिए काम 10 से अधिक वर्षों से चल रहा है। यह संभव है कि उपयुक्त जहाजों में परिवहन होने और इसे कवरत्ती और मिनीकॉय में निर्मित थोक भंडारण टैंकों में संग्रहित किए जाने के बाद परिवहन के दौरान होने वाले नुकसान में भारी कमी आएगी। परिवहन के लिए उपयुक्त जहाज प्राप्त करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के प्रयासों का अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है।

वर्ष	बेपोर से विभिन्न	विभिन्न द्वीपों पर	परिवहन में हानि	परिवहन में

	द्वीपों को भेजी गई मात्रा (लीटर में)	प्राप्त मात्रा (लीटर में)	(लीटर में)	हानि (लीटर) (%)
2013-14	13336800	13173378	163422	1.22
2014-15	14724000	14554722	169278	1.07
2015-16	14795400	14624671	170729	1.15
	42856200	42352771	503429	1.17
कुल लागत	**26484617**			

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में दिखाया गया है, नुकसान 1.3% से कम है जो मानकों के अनुसार अनुमेय सीमा में है। परिवहन के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं।

क) बैरल की खरीद वार्षिक आधार पर की जाती है।
ख) 4 साइकिल/ बैरल के उपयोग पर खाली बैरल को बदलना अनिवार्य है।

ग) जेट्टी में बैरल की हैंडलिंग और फोर्क लिफ्ट के माध्यम से पीकॉक व्यवस्था का उपयोग। ।

घ) चोरी और रिसाव से बचने के लिए बेपोर में बैरल भरने के बाद उचित पॉलीमर सीलिंग की व्यवस्था की जाती है।
ड़) वर्तमान में अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग तरह की हैंडलिंग पर विचार करते हुये रिसाव और परिवहन में होने वाले नुकसान पेट्रोलियम कंपनियों के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमेय सीमा के भीतर हैं।

बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, विभाग को बैरल के माध्यम से मुख्य भूमि से द्वीप तक तेल के परिवहन की अवैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करना पड़ता है ताकि लक्षद्वीप में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को अबाध बिजली-आपूर्ति बनाए रखी जा सके।

उपर्युक्त स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि यूटीएल प्रशासन ने कवरत्ती और मीनीकॉय में थोक तेल भंडारण सुविधाओं को चालू करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। इसी तरह, यह भी स्पष्ट है कि परिवहन में नुकसान वर्तमान में अनुमेय सीमा के भीतर है और परिवहन के दौरान नुकसान को और कम करने के लिए पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है।"

17. उपर्युक्त लेखा परीक्षा टिप्पणी के संबंध में, मंत्रालय ने (दिनांक 25.12.2019 के एटीएन द्वारा) निम्नवत बतायाः

> "विद्युत विभाग ने मुख्य भूमि से एचएसडी तेल के परिवहन के लिए थोक भंडारण सुविधाएं प्रदान करने के लिए बंदरगाह विभाग से संपर्क किया है क्योंकि अन्य विकल्प सफल नहीं हुए हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, पोर्ट विभाग ने एचएसडी तेल के परिवहन के लिए पोत प्रचालकों से एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया है। यह बताना है कि कुछ पोत ऑपरेटरों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है और इसे संबंधित अधिकारियों से चर्चा करके अंतिम रूप दिया जाना है। पोर्ट विभाग ने यह भी बताया कि उन्होंने एचएसडी तेल के परिवहन के लिए उपयुक्त बार्ज बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह भी बताया गया कि तकनीकी बोली खोली गई है और बाद की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इसलिए, यह उम्मीद की जाती है कि भंडारण सुविधा उचित समय पर चालू हो जाएंगी।"

18. थोक तेल भंडारण सुविधाओं की शुरूआत की वर्तमान स्थिति के बारे में समिति को बताते हुए, गृह मंत्रालय ने निम्नवत बतायाः

- "प्रशासन ने जून 2021 में दोनों पक्षों के बीच हुए बिक्री विलेख के माध्यम से कवरत्ती और मिनीकॉय दोनों ही द्वीपों में तेल भंडारण सुविधाएं (आउटलेट्स रिटेल और डिपो स्टोरेज बल्क) आईओसीएल) कॉर्पोरेशन ऑयल इंडियन) को सौंप दी हैं।
- दोनों ही द्वीपों पर भवन और अन्य प्रतिष्ठानों सहित थोक तेल भंडारण डिपो और रिटेल आउटलेट, अगस्त 2021 में आईओसीएल को सौंप दिए गए।
- आउटलेट के कामकाज के लिए सभी वैधानिक मंजूरी और लाइसेंस प्राप्त कर लिए गए हैं।
- कवरत्ती और मिनीकॉय में डिपो परिचालन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अगले कुछ हफ्तों में इसके चालू होने की उम्मीद है।

इसी तर्ज पर आईओसीएल ने अन्य 7 द्वीपों में रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए जमीनी काम शुरू कर दिया है, जिसके लिए साइटों की पहचान की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है।"

19. एचएसडी तेल के परिवहन के लिए बार्ज बनाने की वर्तमान स्थिति के संबंध में, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

> "तेल परिवहन के लिए समर्पित पोत 700 एमटी ऑयल बार्ज एमवी थिलाकम की सुपुर्दगी फरवरी 2021 में की गई।तदनन्तर, पोर्ट डिपार्टमेंट, यूटीएलए को अनिवार्य प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ट्रायल लोडिंग और डिसचार्जिंग किया गया, जहां छोटा-छोटा रिसाव या उसे अब ठीक कर दिया गया है। अब बार्ज ऑपरेशन के लिए तैयार है। बार्ज के ऑपरेशन और चार्टरिंग के लिए यूटीएलए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) के बीच चर्चा चल रही है।"

20. इसके अतिरिक्त, परिवहन के दौरान होने वाले नुकसान को रोकने के लिए किए गए उपायों के संबंध में,मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

- तेल परिवहन के लिए 700 एमटी ऑयल बार्ज एमवी थिलाकम की सुपुर्दगी फरवरी 2021 में की गई।
- ट्रायल लोडिंग और डिसचार्जिंग किया गया। छोटे-छोटे रिसाव ठीक कर लिए गए हैं।
- 700 एमटी बार्ज, एमवी तिलाकम को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए चार्टर आधार पर आईओसीएल को सौंपा जाएगा।

  आईओसीएल द्वारा विशेष बार्ज एमवी तिलाकम से तेल के परिवहन से पारगमन संबंधी नुकसान में काफी कमी आएगी।"

तीन. **डीजल को जारी करने तथा खपत के बीच विसंगतियां**

21. द्वीपसमूह-वार प्रणाली सांख्यिकी तथा स्टाक रजिस्टरों की लेखापरीक्षा समीक्षा ने उप-प्रभागों द्वारा ईंधन को जारी करने तथा विद्युत स्टेशनों द्वारा खपत के बीच विसंगतियों को निम्नवत प्रकट किया:

वर्ष	उप-प्रभागों द्वारा उपयोग किया गया डीजल (लीटर लाख में)	विद्युत स्टेशनों पर उपभोग किया गया डीजल (लीटर लाख में)	अंतर (लीटर लाख में)	प्रति लीटर (रूपए)	हानि (करोड़ रूपए में)
2013-14	135.55	132.69	2.86	59.15	1.69
2014-15	139.36	137.57	1.79	53.16	0.95
2015-16	146.72	146.48	0.24	45.80	0.11
				कुल	**2.75**

एलईडी ने लेखापरीक्षा को सूचित किया कि समाधान विवरण प्रतीक्षित थे। एलईडी को विसंगति के कारण की जांच करना तथा यह सुनिश्चित करना कि अंतर इंधन चोरी जैसे घटकों के कारण नहीं है, अपेक्षित है।

22. उपर्युक्त लेखा परीक्षा टिप्पण के उत्तर में, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

- "द्वीपवार मुद्दा, बिजली उत्पादन के लिए एचएसडी तेल की खपत और अन्य उद्देश्य के लिए जारी ईंधन का मिलान द्वीपों में रिकॉर्ड के संदर्भ में किया गया है।

- सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बिजली उत्पादन और वास्तविक उद्देश्यों यथा मत्स्य पालन, बंदरगाह, उप-मंडल कार्यालय आदि जैसे प्रशासन में अन्य सरकारी विभागों के लिए ऋण के रूप में (वापसी आधार पर) ईंधन जारी की गयी थी/आपूर्ति की गयी थी।

- बिजली उत्पादन के लिए प्रयुक्त एचएसडी तेल की मात्रा निर्धारित सीमा के अनुसार है (अर्थात 3.5 यूनिट प्रति लीटर)।"

वर्षवार मिलान किए गए आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	एसडी द्वारा जारी डीजल (लीटर में)	पीएच पर खपत डीजल (लीटर में)	अन्य उद्देश्यों के लिए जारी डीजल (लीटर में)*
2013-14	1,34,77,363	1,33,25,123	1,52,240
2014-15	1,39,28,498	1,37,83,113	1,45,385
2015-16	1,46,17,946	1,45,29,639	88,307

23. समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि डीजल के निर्गम और खपत के बीच विसंगतियों का समाधान करने की वर्तमान स्थिति क्या है,गृह मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

- "जारी मात्रा और उपभोग में अंतर का मिलान किया गया है।
- विभाग अब सभी उप-मंडलों में वास्तविक आंकड़ों के साथ ऑनलाइन सूची की निगरानी करता है और विसंगतियों को उसी समय एवं वहीं ठीक किया जाता है।
- निर्गम और खपत की समेकित रिपोर्ट मासिक आधार पर तैयार की जाती है।
- वर्तमान में विसंगति का कोई मुद्दा नहीं है और खपत और एचएसडी के आंकड़ों का मिलान किया जाता है।
- सॉफ्टवेयर और इन्वेंट्री प्रबंधन कार्य करने के लिए आईटी योग्यता रखने वाले दो नए भर्ती कर्मचारियों के साथ मई 2020 में डिवीजन कार्यालय में एक सेल बनाया गया है। इन कर्मचारियों के मुख्य कर्तव्य निम्नलिखित हैं:
    - "बिजली डीजी सेट को चलाने और अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले जारी ईंधन के मुद्दे/उसकी खपत की अलग से जांच करना और इसे अलग कार्य नाम के तहत ऑनलाइन आवेदन में दर्ज करना
    - यह निगरानी करना कि मांगपत्र और उसकी मंजूरी एक ही तारीख के हों
    - बिना त्रुटि के इन्वेंट्री और बिजली उत्पादन तथा वितरण प्रबंधन प्रणाली (पीजीडीएमएस) का मिलान।"

चार. <u>मानदंडों से अधिक डीजल की खपत</u>

24. लेखापरीखा संवीक्षा से पता चला कि एलईडी ने अनुमान लगाया था कि नए डीजी सैट 0.28 से 0.30 लीटर ईंधन प्रति केडब्ल्यू घण्टा के बीच उपभोग करेंगे जबकि डीजी सैट जिनका उपयोगी समय समाप्त हो गया था तथा लगातार खराब/मरम्मत/अनुरक्षण के कारण 0.31 से 0.38 लीटर प्रति केडब्ल्यू घण्टा का उपभोग करेंगे। डीपीआर में अंकित मानकों को लागू करते हुए लेखापरीक्षा ने अनुमान लगाया है कि एलईडी ने अवधि 2013-14 से 2015-16 के दौरान ₹2.84 करोड़ की सीमा तक से अधिक ईंधन का उपभोग किया है।

एलईडी ने अंतर को पुराने डीजी सैटों के प्रचालन को सपष्ट किया। स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीपीआर में पुराने डीजी सैटों को लागू मानदण्ड भी शामिल हैं। इसलिए एलईडी को मानदण्डों से अधिक ईधन लागत के पीछे कारणों की जांच करना तथा यह सुनिश्चित करना कि ₹2.84 करोड़ का आधिक्य ईंधन चोरी जैसे घटक के कारण नहीं हैं, अपेक्षित है।

25. मानदंडों से अधिक डीजल की खपत के कारणों के बारे में बताते हुए, गृह मंत्रालय ने दिनांक 09-08-2017 के लेखा परीक्षा के अपने उत्तर में निम्नवत बतायाः

- "प्रतिकूल जलवायु स्थिति उच्च ईंधन खपत का एक कारण है।
- द्वीप छोटे हैं और बिजली घर समुद्र के किनारे के पास हैं, जिसके कारण शीतलन क्षमता खराब होती है और परिणामस्वरूप डीजी समय से पहले खराब हो जाते हैं।
- पीजीडीएमएस में डेटा प्रविष्टि में त्रुटियों के कारण इन आंकड़ों में त्रुटियाँ होती हैं।
- अकुशल, पुराने और खराब डीजी सेटों के बड़े ओवरहालिंग और निरंतर प्रचालन में देरी से स्थिति और खराब हो जाती है।
- दक्षता में सुधार के उपाय पहले ही किए जा चुके हैं।
- विभाग ने परिसमापन क्षति के लिए शर्तें लागू की हैं (3,79,18,644/- रुपये की वसूली की गयी है)।

स्पष्टीकरण से पता चलता है कि विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण डीजल की खपत निर्धारित मानदंडों से अधिक है और सही ढंग से कार्य नहीं करने के लिए पहले से ही आपूर्ति जुर्माना लगाया गया है।"

26. जांच के दौरान लेखा परीक्षा द्वारा यह पूछे जाने पर कि इस संबंध में की-गई- कार्रवाई के आधार पर अंतिम उत्तर अभी प्रतीक्षित है, मंत्रालय ने आगे निम्नवत टिप्पणियां दी:

"डीजी सेटों के सही ढंग से कार्य नहीं करने के कारण कुछ द्वीपों में डीजल की खपत निर्धारित मूल्य से अधिक है।"

अतिरिक्त खपत को कम करने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

द्वीप	डीजल उपभोग	उत्पादित बिजली	विशिष्ट ईंधन खपत लीटर प्रति किलोवाट
मिनीकॉय	21,80,845	87,47,837	0.24

कावारती	31,21,213	1,12,42,365	0.27
अमीनी	15,27,308	51,32,822	0.29
एन्ड्रॉत	21,17,555	72,30,078	0.29
कालपेनी	10,67,907	35,70,601	0.29
अगाती	18,91,825	66,27,103	0.28
कदमत	12,36,799	43,89,088	0.28
किल्टन	8,26,601	27,34,476	0.30

27. इस संबंध में वर्तमान स्थिति के बारे में बताते हुए, मंत्रालय ने निम्नवत बतायाः

- "द्वीपों में अब तक ईंधन चोरी की कोई सूचना नहीं है।
- क्रिसिल (एक एसएंडपी ग्लोबल कंपनी), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) सलाहकार द्वारा तैयार रोडमैप दस्तावेज़ के आधार पर द्वीपों में डीजी क्षमता का विस्तार किया जा रहा है।
- द्वीप स्तर पर, सहायक अभियंता यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि सही और तथ्यात्मक डेटा की प्रविष्टि की जाए।
- प्रत्येक उपमंडल को विद्युत गृह में एचएसडी की खपत और अन्य विभाग को जारी की गई मात्रा का डाटा संभाग कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है।

सॉफ्टवेयर और इन्वेंट्री प्रबंधन कार्य करने के लिए आईटी योग्यता रखने वाले दो नए भर्ती कर्मचारियों के साथ मई 2020 में डिवीजन कार्यालय में एक सेल बनाया गया है।"

28. जब यह पूछा गया कि सभी द्वीपों में डीजी सेटों की दक्षता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए है, मंत्रालय ने निम्नवत बतायाः

"उद्देश्य को पूरा करने हेतु मेसर्स क्रिसिल (एक एस एंड पी ग्लोबल कंपनी), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर सलाहकार द्वारा एक रोडमैप दस्तावेज़ तैयार किया गया था। चूंकि द्वीप आपस में जुड़े नहीं हैं, एजेंसी ने मांग का आकलन और नेटवर्क पर्याप्तता का द्वीप-वार मूल्यांकन किया है। वित्त वर्ष 2011 से 2015 तक दोनों में वास्तविक वृद्धि के आधार पर वर्ष 2019 तक ऊर्जा की आवश्यकता और पीक डिमांड का अनुमान लगाया गया था। प्रत्येक द्वीप में उपलब्ध डीजी क्षमता और 2019 तक उपलब्ध होने वाली डी-रेटेड क्षमताओं की गणना की गई थी। उपर्युक्त गणना के आधार पर, प्रत्येक द्वीप के लिए नए डीजी और आवश्यकता के वर्ष की सिफारिश की गई थी।

वर्तमान में उक्त रिपोर्ट की अनुशंसा के आधार पर डीजी सेटों को खरीदा एवं लगाया जा रहा है। लक्षद्वीप विद्युत विभाग पुराने डीजी सेटों को नए सेटों से बदलने की प्रक्रिया में

लगा है। इसके अलावा, विभाग नियमित रूप से समय पर इंजनों की ओवरहालिंग करने के लिए हर संभव प्रयास करता है।

अब, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने भी बिजली उत्पादन और वितरण कार्य का 100% निजीकरण करने का फैसला किया है। लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा आरएफपी का मसौदा तैयार किया गया है। बिजली वितरण और उत्पादन का निजीकरण दक्षता में वृद्धि करेगा, टी एंड डी घाटे को कम करेगा और लक्षद्वीप के बिजली क्षेत्र में अन्य मुद्दों का समाधान करेगा।"

29. चूंकि संघ राज्य क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियां अलग हैं, समिति यह जानना चाहती है कि बिजली विभाग ने ऐसे डीजी सेट तैयार करने के लिए अनुसंधान के लिए कोई कदम उठाए है जो कम ईंधन की खपत करते हैं और ऐसी परिस्थितियों में बेहतर काम करते हैं, इसके उत्तर में मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"यह मामला केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय के समक्ष उठाया जा रहा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के वितरण योजना और विकास प्रभाग से लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र को द्वीप विशिष्ट डीजी सेटों की पहचान करने में सलाह देने का अनुरोध किया गया था ताकि उत्पादन की लागत को कम किया जा सके और ऐसे डीजी सेटों का सुझाव देने के लिए भी अनुरोध किया गया है, जो कम ईंधन की खपत करते हों और द्वीप की इन स्थितियों में बेहतर काम करते हों।"

30. समिति आगे यह भी जानना चाहती है कि क्या इंजनों की ज्यादातर ओवरहालिंग समय पर की जा रही है? यदि नहीं, तो कृपया ऐसा न करने के कारण बताएं? क्या लक्षद्वीप विद्युत विभाग ने बेकार, पुराने और खराब डीजी सेटों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए कोई योजना तैयार की है, अपने लिखित उत्तर में मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"इंजनों की नियमित रूप से समय पर ओवरहालिंग करने के लिए विभाग हर संभव प्रयास करता है। सामान्य आवधिक रखरखाव भी समय पर किया जा रहा है। हालांकि, इंजनों के बड़े ओवरहालिंग के मामले में, लक्षद्वीप की विशिष्ट भौगोलिक स्थितियों से जुड़े कारणों से कुछ देरी होती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क) अधिकृत वर्कशॉप/डीलरों से समय पर पुर्जे और सेवा कर्मियों को प्राप्त करने में कठिनाई।

ख) बुनियादी ढांचे की कमी के कारण द्वीप स्थल पर इंजनों/अल्टरनेटरों की सर्विसिंग करने में सर्विस डीलरों की असमर्थता ।

ग) कुछ मामलों में जहां मुख्य भूमि पर बड़ी ओवरहालिंग मरम्मत के लिए इंजन को खोलने की आवश्यकता होती है, द्वीपों में परिवहन और लोडिंग/अनलोडिंग सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं।

अधिकांश बेकार डीजी सेटों को चरणबद्ध रूप से हटा दिया गया है और उनकी जगह नए सेट लगा दिए गए हैं, हालांकि, 7 डीजी सेट, जो 15 वर्षों से अधिक समय के होने के बाद भी हैं, अभी भी कुछ द्वीपों में सीजन के दौरान पीक डिमांड को पूरा करने के लिए प्रचालन में हैं।"

पांच. उच्च ट्रांसमिशन तथा संवितरण हानियों के कारण परिहार्य व्यय

31. लेखापरीक्षा ने पाया कि 2004 की डीपीआर ने दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) की समाप्ति तक टीएण्डडी हानियों को 10.8 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक कम करने पर मुख्य दबाव की सिफारिश की। इस लक्ष्य को अब तक प्राप्त नहीं किया गया है। टीएण्डडी हानि की लागत 2013-14 से 2015-16 के दौरान 8 प्रतिशत के आधिक्य में थी जो अकेले 4 द्वीप समूहों में ₹10.38 करोड़ होता है।

एलईडी ने लेखापरीक्षा को सूचित किया कि इसने प्रत्याशित परिणाम प्राप्त करने में तीन मुख्य बाधाओं अर्थात् पैकेज ट्रांसफार्मरों का गैर-संस्थापन, रिंग मुख्य इकाई का गैर-संस्थापन तथा उपयोगताओं हेतु भूमिगत तार का परिवर्तन / डाला जाना, की पहचान की थी तथा कि वह इन निर्माण कार्यों के समापन पर आगे की कटौती पर आशाप्रद है।

32. पारेषण और वितरण हानियों को कम करने के लिए मंत्रालय द्वारा की-गई कार्रवाई और की-जा रही कार्रवाई के संबंध में मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

- "अधिकांश द्वीपों में टी एंड डी हानि को कम करने के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया गया है।
- मिनिकोय, कावारती, अमिनी, एंड्रॉत, कल्पेनी, अगाती के संबंध में औसत टीएंडडी हानि 6% है।
- शेष द्वीपों में भी सुविधाओं में सुधार के लिए कार्रवाई जारी है।
- विभाग वास्तविक टी एंड डी हानि का पता लगाने के लिए स्मार्ट मीटरिंग योजना लागू करने की योजना बना रहा है।"

33. मंत्रालय द्वारा इस संबंध में की-गई कार्रवाई की वर्तमान स्थिति निम्नवत है:

- "108 सब स्टेशनों में से 69 सबस्टेशनों को या तो पैकेज्ड सब स्टेशन (40) में बदल दिया गया है या इन्हें रिंग मेन यूनिट (29) प्रदान किया गया है।

- पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस), जिसका उद्देश्य वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना है, के तहत संघ राज्य क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।
- इंटेलिस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा लिमिटेड, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआईआईएफ) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी को लक्षद्वीप में स्मार्ट मीटरिंग कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है।
- इंटेलीस्मार्ट ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है जिस पर कार्रवाई की जा रही है।

34. यह पूछे जाने पर कि वास्तविक टी एंड डी हानियों का पता लगाने के लिए वितरण ट्रांसफार्मर में स्मार्ट एनर्जी मीटरों को लगाने की वर्तमान स्थिति क्या है,मंत्रालय ने निम्नवत बतायाः

"वर्तमान में लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में वितरण ट्रांसफार्मरों में सामान्य एनर्जी मीटर हैं। हालांकि, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के तहत उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में लगा है। विद्युत मंत्रालय ने लक्षद्वीप में स्मार्ट एनर्जी मीटर प्रोग्राम के काम को नामांकन के आधार पर ईईएसएल को सौंपा है। ऐसे में इंटेलिस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआईआईएफ), की संयुक्त उद्यम कंपनी है जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा निधि समर्थित है जिसे परियोजना का प्रस्ताव तैयार करने सहित लक्षद्वीप में स्मार्ट मीटरिंग कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है। इंटेलिस्मार्ट ने अपना प्रस्ताव विभाग को सौंप दिया था, जो प्रक्रियाधीन है। वे विभाग/विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के बाद 1 वर्ष के भीतर परियोजना को लागू करेंगे। वे उपलब्धता के आधार पर संचार प्रौद्योगिकी के रूप में रेडियो फ्रीक्वेंसी/सेलुलर संचार/वीसैट का उपयोग करेंगे। कवारती, आगाती, किल्टन, चेतलत और बित्रा द्वीपों में, जहां बीएसएनएल का नेटवर्क उपलब्ध है, सेलुलर नेटवर्क के साथ संप्रेषण के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जबकि शेष द्वीपों में डेटा संप्रेषण के लिए वीसैट लगाए जाएंगे। स्मार्ट मीटर सेवा प्रदाता परियोजना को डीबीएफओओटी (डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर) मोड में लागू करेगा। सेवा प्रदाता परियोजना निष्पादन की अवधि सहित 10 वर्षों के लिए प्रचालन और रखरखाव करेगा, जिसके बाद इसे लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को अंतरित कर दिया जाएगा। "

छह. सौर फोटोवोल्चोल्टिक(एसपीवी) संयंत्र पर निष्फल व्यय

35. लेखा परीक्षा जांच से यह पता चला कि गैर-परम्परागत स्रोत मंत्रालय के ₹18.41 करोड़ की कुल लागत हेतु ₹12.27 करोड़ (शेष को यूटीएल बजट से पूरा किये जाने सहित) के निर्गम (मार्च 2001) के आधार पर एलईडी ने ग्रिड इंटरएक्टिव सौर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) विद्युत संयंत्र संस्थापित किया। इसके अतिरिक्त, एसपीनी प्लाट को ₹0.64 करोड़ की लागत पर सुहेली (गैर-आबाद द्वीपसमूह परंतु पर्यटन आधारित) में संस्थापित किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि एसपीवी सयंत्रों (2001 में 8 खरीदे गए; 2 सयंत्रों के खरीद के वर्ष को 2005 से पहल तथा दो संयंत्रों को 2000 से पहले माना गया क्योंकि ब्यौरे उपलब्ध नहीं है) 12 द्वीपसमूहों में संस्थापित किया गया था।

36. लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थापित एसपीवी में से चार पिछले तीन वर्षों से अधिक से कार्य नहीं कर रहे थे तथा दो का नवीकरण हो रहा था। इसका कारण पता लगाने हेतु लेखापरीक्षा में विस्तृत संवीक्षा हेतु एमिनी में संयंत्र के अभिलेखों का चयन किया। यह पाया गया था कि भूमि का अधिग्रहण उपकरण की सुपुदगों से तीन वर्ष बाद किया गया था तथा इसके पश्चात सिविल निर्माण कार्यों का समापन और चार वर्ष विलम्ब हुआ था। इस समय तक कुछ फोटोवोक्टिक मोड्यूल संस्थापन में विलम्ब के कारण खराब स्थिति में थे। इस परिस्थिति प्राथमिक कारण एसपीवी सयंत्र का क्रय आदेश देने से पूर्व एलईडी का अनिवार्य तटीय नियामक क्षेत्र स्वीकृत तथा भूमि अधिग्रहण को सुनिश्चित न करने के कारण था। खराब रखरखाव समस्या को और जटिल बना रहा था। एलईडी ने सूचित किया (अगस्त 2016) कि वर्तमान में एलईडीए, यूटीएल प्रशासन के अंतर्गत एक समिति को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि सभी सयंत्र पूर्ण क्षमता से कार्य करें।

37. चार एसपीवी प्लांटस के चालू न होने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

> "इन एसपीवी पावर प्लांटस की मेर्सस भेल, " इन एसपीवी पावर प्लांट्स के मैसर्स भेल, बेंगलूरु द्वारा आपूर्ति की गई, उनको संस्थापित किया गया और चालू किया गया। इन प्लांटस के मामले में, इनके चालू होने से पांच वर्ष के लिए प्रचालन और रख-रखाव का कार्य आपूर्तिकर्ता अर्थात मैसर्स भेल को सौंपा गया था।
>
> अमीनी और चेतलत में प्लांटस् के लिए उपर्युक्त भूमि के चयन की प्रक्रिया जून 2001 के दैरान आरंभ हुई थी। चूंकि चयन किया गया स्थल "नो कंस्ट्रकशन जोन" में था, लक्षद्वीप प्रदूषण नियंत्रण समिति से अनुमति प्रास करने की प्रक्रिया आंरभ की गई थी। इसके बाद संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को पर्यावरण संबंधी मंजूरी के लिए दिनांक 20.09.2000 को एक पत्र लिखा ताकि वह इस परियोजना को आगे बढ़ा सके।

लक्षद्वीप प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दिनांक 15.11.2001 को 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' जारी किया। इसके पश्चात, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली ने दिनांक 19.10.2002 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सीआरजेड क्षेत्र में अनुमेय गतिविधि के रूप में गैर-पारंपरिक स्रोतों से सौर ऊर्जा उत्पादन को समायोजित करने के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन किए और दिनांक 31.12.2002 को परियोजनाओं को सीआरजेड की मंजूरी जारी की।
संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी से बचने के लिए भू-स्वामियों से पट्टे पर भूमि लेने के प्रयास किए किंतु भू-स्वामी भूमि को पट्टे पर देने से हिचक रहे थे और केवल उनके भूमि अधिग्रहण के लिए तैयार थे। तदनुसार, प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण आरंभ किया और मार्च, 2005 में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हुई।

इसके बाद,इसके बाद, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के इंजीनियरों ने सिविल कार्यों को मार्क करने और आंरभ करने के लिए साइट का दौरा किया। लक्षद्वीप विद्युत विभाग (एलईडी) ने मई 2007 के दौरान सिविल कार्यों (सीमेंट पेडस्टल और नियंत्रण कक्ष कार्य) को पूरा किया और मानूसन के तुरंत बाद, सितंबर, 2007 में भेल ने दोनों साइटों (चेतलत और आमीनी) में इंस्टॉलेशन का कार्य शुरू किया गया। दिसंबर, 2008 में इंस्टॉलेशन का काम पूरा हुआ मार्च, 2009 में अमीनी में और मई 2009 में चेतलत में प्लांट शुरू हुए। भेल ने कमीशनिंग के बाद 5 वर्षों की अवधि के लिए अमीनी और चेतलत में एसपीवी प्लाटंस् की नियमित ओएंडएम करने के लिए सहमति व्यक्त की।

वर्ष 2013 में लक्षद्वीप विद्युत विभाग द्वारा यह देखा गया कि भेल ओएंडएम अवधि के दौरान रख-रखाव का कोई कार्य नहीं कर रहा था और प्लांट बिना प्रचालन के निष्क्रिय पड़े थे। दिसंबर, 2013 में भेल को ओएंडएम के लिए 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया गया था और उन्हें ओएंडएम पर कार्य करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने का निदेश दिया गया।

भेल द्वारा यह बताया गया कि उनके द्वारा वर्ष 2002-03 में सामग्री की आपूर्ति की गई थी और वह लक्षद्वीप विद्युत विभाग की कस्टडी में थी। पर्यावरण मंजूरी भू-अधिग्रहण इत्यादि में देरी के कारण उपकरणों/सामग्री को तत्काल इंस्टॉल नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, भेल ने बताया कि मॉड्यूल्स में जल संग्रहित होने के कारण कई पीवी मॉड्यूल्स, जिनमें जंग लगने की अधिक संभावना थी, यथा अपेक्षित आउटपुट देने के लिए बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहे थे और उनमें कुछ

क्षतिग्रस्त स्थिति में पाए गए। यह सामग्री मानसून के लगभग 5 से 6 मौसमों में पड़ी रही जिससे उनका आउटपुट मध्यम स्तर का रहा।

सुहेली द्वीप, जोकि एक निर्जन द्वीप है में खासतौर से उप मछुआरों को राहत देने के प्रयास के रूप में एसपीवी प्लांट लगाया गया जो अच्छे मौसम (वर्ष भर में केवल 7 से 8 माह की अवधि के लिए) के दौरान द्वीप पर आते हैं। मानसून की अवधि के दौरान, खराब मौसम और अशांत समुद्र के कारण सुहेली द्वीप दुर्गम हो जाता है और 4-5 माह की अवधि के लिए अन्य मुख्य द्वीपों से कट जाता है जो कि एसपीवी के काम न करने का मुख्य कारण था।

दिनांक 07.10.2021 को हुई बैठक के दौरान समिति द्वारा उठाए गए मुद्दों को देखते हुए गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि और विद्युत मंत्रालय से तकनीकी पृष्ठभूमि के अधिकारियों की एक टीम को लक्षद्वीप का दौरा करने और समिति द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने का निदेश दिया गया जिसमें अमीनी और चेतलत में एमपीवी प्लान्ट्स को चालू करने में देरी का मुद्दा भी शामिल है और इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देते हुए इस मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।"

38. समिति को इस संबंध में वर्तमान स्थिति के बारे में बताते हुए मंत्रालय ने निम्नवत बतायाः-

- " विद्युत विभाग ने अगस्त 2018 में मौजूदा ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी सिस्टम को फिर से चालू करने के लिए भारत के सौर ऊर्जा सहयोग (एसईसीआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया था।
- जुलाई 2020 में 10 वर्षों के लिए ओ एवं एम सहित सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए कार्य एसईसीआई द्वारा प्रदान किए गए ।
- पहले चरण में एसईसीआई ने कावारती में 1.4 मेगावाट बीईएसएस के साथ 1.4 मेगावाट क्षमता वाला संयंत्र, अगात्ती 0.3 मेगावाट, बंगाराम 0.15 मेगावाट की क्षमता और 0.450 मेगावाट बीईएसएस और तिन्नाकारा में 0.1 मेगावाट क्षमता के साथ 0.3 मेगावाट के साथ - 2.15 मेगावाट बीईएस के कुल 1.9 मेगावाट के संयंत्र का प्रस्ताव किया है।

विद्युत क्षेत्र में चल रहे सुधारों को देखते हुए एसईसीआई परियोजनाओं की समीक्षा चल रही है।"

39. लक्षद्वीप ऊर्जा विकास एजेंसी (एलईडीए) द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र पूरी क्षमता से काम करें, की-गई-कार्रवाई के संबंध में मंत्रालय ने निम्नवत बतायाः-

"उस अवधि के दौरान जब भेल एसपीवी संयंत्रों के ओ एंड एम का प्रचालन कर रहा था, कुछ बिजली संयंत्र टूट गए थे और एलईडीए ने भेल से ओएंडएम की अवधि बढ़ाने

का अनुरोध किया था। एलईडीए ने भेल की लागत और जोखिम पर अगाती (7 महीने), मिनिकोय (20 महीने), एंड्रोत और कदमत (प्रत्येक एक महीने के लिए) के द्वीपों में ओ एंड एम अनुबंध की अवधि बढ़ाने के लिए कार्रवाई की थी।

ओएंडएम अवधि के दौरान, एलईडीए ने गारंटीकृत बिजली निकासी में हानि और संयंत्रों को चालू करने में देरी जैसी संविदात्मक शर्तों के अनुसार, विभिन्न चूकों पर जुर्माने के लिए भेल के दावे से 1.3 करोड़ रुपये की कटौती की है। मेसर्स बीएचईएल के ओ एंड एम अवधि के पूरा होने पर, एलईडीए द्वारा संयंत्रों का अधिग्रहण कर लिया गया था। वर्तमान में बित्रा, जहां ओ एंड एम अनुबंध की अवधि 01/2023 तक है, को छोड़कर एलईडीए द्वारा संयंत्रों का रखरखाव किया जा रहा है।

हालांकि, यूटीएलए ने अब बिजली उत्पादन और वितरण के 100% निजीकरण करने का फैसला किया है। यूटीएलए द्वारा एक आरएफपी का मसौदा तैयार किया गया है। आरएफपी के मसौदे की प्रमुख विशेषताओं में से एक है द्वीपों को डी-डीजलाइज करना और दो साल की अवधि में डीजल आधारित बिजली उत्पादन को 100% नवीकरणीय ऊर्जा के आधार पर करना उपर्युक्त सुधारों में दक्षता, स्थापित क्षमता के इष्टतम उपयोग आदि के मुद्दों का भी ध्यान रखा जाएगा।"

सात. <u>आवश्यकता के बावजूद ऊर्जा लेखापरीक्षा न करना</u>

40. जेईआरसी टैरिफ विनियम, 2009 एलईडी को संचारण तथा संवितरण (टीएंडडी) हानियों के अपने अनुमान को प्रमाणित करने हेतु नियमित ऊर्जा लेखापरीक्षा करने तथा जेईआरसी को छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने को अपेक्षित करता है। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि एलईडी ने आज तक कोई ऊर्जा लेखापरीक्षा नहीं की है। एलईडी ने इसे स्थानीय रूप से तकनीकी विशेषज्ञों की अनुपलब्धता को आरोपित किया। एलईडी को ऊर्जा लेखापरीक्षाओं को कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु उपायों की खोज करने की सलाह दी जाती है क्योंकि वह अनिवार्य है।

41. उपर्युक्त लेखापरीक्षा पैरा के उत्तर में, गृह मंत्रालय ने अगस्त, 2017 में लेखापरीक्षा को सूचित किया कि उन्होंने वर्ष 2013-14 में उत्पादन एवं वितरण प्रणाली पर विस्तृत ऊर्जा लेखापरीक्षा पहले ही कर ली थी। भविष्य में जेईआरसी टैरिफ विनियम, 2009 के अनुरूप ऊर्जा लेखापरीक्षा की जाएगी।

42. ऊर्जा लेखापरीक्षा करने के संबंध में वर्तमान स्थिति के बारे में बताते हुए, मंत्रालय ने बताया कि उन्होंने सितम्बर, 2018 में मैसर्स आरएसएएंड कंपनी को ऊर्जा लेखापरीक्षा करने का

ठेका दिया था। यह अध्ययन पूरा कर लिया गया है और फरवरी 2021 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी थी। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई इस प्रकार है:

"1) पावर हाउस में विभिन्न मीटरों का आवधिक परीक्षण और कैलिब्रेशन किया जा रहा है।

2) सभी 11 केवी फीडरों में मीटर लगाए गए हैं।

3) फीडर-वार उपभोक्ता की सूची तैयार की गई है।

4) उपमंडलों को निर्देश दिया गया है कि वे सब-स्टेशनों पर लगे मीटर की रीडिंग नियमित रूप से लें। विद्युत मंत्रालय की चुस्त-दुरूस्त वितरण क्षेत्र योजना के तहत एलटी फीडर मीटरिंग की जाएगी।

5) गली के खंभों को क्रमांकित किया गया है।

6) उपभोक्ता परिसर में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मीटर की सटीकता का परीक्षण करने के लिए सीएमआरआई और मानक संदर्भ मीटर का उपयोग किया जाता है और मीटर से डेटा डाउनलोड किया जाता है। "

आठ. <u>विद्युतीकरण हेतु वैकल्पिक पद्धतियों की खोज करने की आवश्यकता</u>

43. लेखापरीक्षा ने पाया कि संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में भारतीय ऊर्जा विनियम (आईईएक्स) द्वारा संघ अनुमानित ₹2.85 प्रति केडब्ल्यूएच के बाजार मूल्य की तुलना में 2015-16 में ₹30.76 प्रति केडब्ल्यूएच की औसतन लागत के साथ विद्युत उत्पन्न करना महंगा है। चूंकि एलईडी द्वारा औसतन राजस्व वसूली केवल ₹2.64 प्रति इकाई है इसलिए कुल ₹91.99 करोड़ की विद्युत की आपूर्ति में राजस्व अंतर है जैसा जेईआरसी द्वारा स्वीकृत किया गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने नवीकरण ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को यूटीएल में उत्पन्न परिस्थिति के अनुकूल तथा सस्ती पद्धति को अपनाने के लिए मार्गों की खोज करने का भी अनुरोध किया था (जून 2006)।

इसलिए, एलईडी को राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों की खोज करना तथा अपनाना आवश्यक है।

44. विद्युतीकरण हेतु वैकल्पिक पद्धतियों की खोज करने की वर्तमान स्थिति के संबंध में, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

- "लक्षद्वीप विद्युत विभाग ने मौजूदा ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी सिस्टम और रूफटॉप सोलर पीवी सिस्टम को रीपॉवर करने के साथ-साथ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए सोलर एनर्जी कोऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया ।
- पहले चरण में एसईसीआई ने कावारती में 1.4 मेगावाट बीईएसएस के साथ 1.4 मेगावाट क्षमता वाला संयंत्र, अगाती 0.3 मेगावाट, बंगाराम 0.15 मेगावाट की क्षमता और 0.450 मेगावाट

बीईएसएस और तिन्नाकारा में 0.1 मेगावाट क्षमता के साथ 0.3 मेगावाट के साथ - 2.15 मेगावाट बीईएस के कुल 1.9 मेगावाट के संयंत्र का प्रस्ताव किया है ।

- लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में बिजली क्षेत्र में सुधार चल रहे हैं, जिसमें निजीकरण, नवीकरणीय और नई ऊर्जा का उपयोग, स्मार्ट मीटर आदि शामिल हैं।
- विद्युत क्षेत्र में चल रहे सुधारों को देखते हुए एसईसीआई की परियोजनाओं की समीक्षा चल रही है।"

45. यह पूछे जाने पर कि क्या रुफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के साथ फ्लोटिंग पीवी प्रोजेक्ट स्थापित कर लिया गया है, मंत्रालय ने निम्नवत बतायाः

"एसईसीआई द्वारा निविदा जारी की गई थी और दिनांक 01/03/2019 को लक्षद्वीप में प्री-बिड मीटिंग आयोजित की गई थी। बैठक में पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध में कुछ प्रश्न उठाए गए थे, और बाद में पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अध्ययन के अभाव में निविदा रद्द कर दी गई थी, जिसमें सभी द्वीपों में आयोजित होने में अधिक समय लगता। बाद में, दिनांक 22/04/2019 को, संयुक्त सचिव एमएनआरई की उपस्थिति में माननीय प्रशासक की अध्यक्षता में लक्षद्वीप में एक बैठक बुलाई गई, और यह निर्णय लिया गया कि कवारत्ती और अगाती पर ईआईए का अध्ययन करने वाले पहले द्वीपों के रूप में विचार किया जाए ताकि इन दो द्वीपों पर भूमि आधारित एसपीवी संयंत्रों सहित परियोजनाओं को चालू करने में एसईसीआई सक्षम हो सके। संयुक्त सचिव, एमएनआरई ने राष्ट्रीय सुथायी तटीय प्रबंधन केंद्र (एनसीएससीएम) से भी प्राथमिकता के आधार पर कम से कम दो द्वीपों पर अध्ययन पूरा करने के लिए बात की। इन दो द्वीपों के लिए ईआईए अध्ययन को पूरा करने में कोविड महामारी सहित विभिन्न कारणों से देरी हुई और इसलिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी हुई। इसके बाद, एसईसीआई ने ईआईए अध्ययन के अभाव में उपर्युक्त द्वीपों में 2.15 एचडब्ल्यूएच बीईएसएस के साथ 1.95 एमडब्ल्यू की क्षमता वाली भूमि आधारित परियोजनाओं और एनसीएससीएम से ईआईए प्राप्त होने पर फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं पर विचार करने का प्रस्ताव किया।

हालांकि, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने अब बिजली उत्पादन और वितरण कार्य का 100% निजीकरण करने का फैसला किया है। यूटीएलए द्वारा आरएफपी का मसौदा तैयार किया गया है। आरएफपी के मसौदे की प्रमुख विशेषताओं में से एक है द्वीपों को डी-डीजलाइज करना और दो वर्ष की अवधि में डीजल आधारित बिजली उत्पादन को 100% नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादन में बदलना। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने चल रही निजीकरण प्रक्रिया को देखते हुए शेष सौर ऊर्जा परियोजनाओं, जो अभी तक शुरू नहीं हुई हैं, को रोकने का फैसला किया है।"

भाग - दो
टिप्पणियां/सिफारिशें

1. लक्षद्वीप, अरब सागर में स्थित छत्तीस छोटे-छोटे द्वीपों का एक द्वीपसमूह है। द्वीप मुख्य भूमि के साथ-साथ एक दूसरे से अलग-थलग हैं। लक्षद्वीप द्वीपसमूह की स्थिति विशिष्ट और देश के किसी भी अन्य हिस्से से अलग है। द्वीपों की मुख्य बाधा भौगोलिक अलगाव और मुख्य भूमि तक पहुंच है। इन द्वीपों की भौगोलिक और स्थलाकृतिक सहित दूर तक समुद्र द्वारा अलग होने के कारण यहां कोई पावर ग्रिड नहीं है। इसके बजाय प्रत्येक स्थान पर एक बिजली घर अलग-अलग द्वीपों की बिजली की आवश्यकता को स्वतंत्र रूप से पूरा करता है।

लक्षद्वीप विद्युत विभाग (एलईडी), एक एकीकृत उपयोगिता केन्द्र है जो संघ राज्य क्षेत्र में बिजली के उत्पादन और वितरण के लिए जिम्मेदार है। मुख्य भूमि से दूरी के कारण, लक्षद्वीप मुख्य रूप से डीजल जेनरेटर (डीजी) सेट (लगभग 95 प्रतिशत) और आंशिक रूप से ग्रिड इंटरएक्टिव सोलर फोटो वोल्टिक (एसपीसी) पावर प्लांट के माध्यम से बिजली की आपूर्ति के लिए पूर्ण रूप से अपने स्वयं के उत्पादन पर निर्भर है। वर्ष 2015-16 में कुल स्थापित क्षमता 24,010 किलोवाट (21,860 किलोवाट के 46 डीजी सेट और 2,150 किलोवाट के 11 एसपीवी) थी। डीजी सेटो की संस्थापित क्षमता 60 किलोवाट और 1,600 किलोवाट के बीच थी।

2. वर्ष 2013 से 2016 की अवधि के लिए लक्षद्वीप विद्युत विभाग के अभिलेखों की लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2016 में जांच की गई थी। लेखापरीक्षा समीक्षा के दौरान, चिंता की जो बातें सामने आईं उनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं: सभी द्वीपों में 47% से 89% के बीच अधिक उत्पादन क्षमता, कुछ द्वीपों में मांग में तेज गिरावट, थोक तेल भंडारण सुविधाओं का शुरू नहीं होना और पारगमन हानियां, मानदंडों से अधिक डीजल खपत, उच्च पारेषण और वितरण हानियों के कारण परिहार्य व्यय, सोलर फोटो वोल्टिक (एसपीसी)

प्लांट पर निरर्थक व्यय, एनटीपीसी से बकाया राशि का संग्रह न करना, आवश्यकता के बावजूद ऊर्जा लेखापरीक्षा नहीं किया जाना, और विद्युतीकरण आदि के लिए वैकल्पिक तरीकों का पता लगाने की आवश्यकता। समिति द्वारा इन मुद्दों की विस्तार से जांच की गई है और अनुवर्ती पैराग्राफ में उपयुक्त रूप से टिप्पणी की गई है।

<u>डीजी सेटों की अतिरिक्त क्षमता</u>

3. समिति यह नोट कर चिंतित है कि सभी द्वीपों में 47 प्रतिशत (किल्टन) से लेकर अधिकतम 89 प्रतिशत (बित्रा) के बीच अधिक संस्थापित क्षमता थी। इसके अलावा, बढ़ती मांग के सामान्य रुझान की तुलना में कुछ द्वीपों में कतिपय समय में मांग में तेज गिरावट देखी गई। समिति यह जानकर क्षुब्ध है कि लक्षद्वीप विद्युत विभाग (एलईडी) ने मरम्मत आदि जैसे कारणों से डीजी सेट के 'डाउनटाइम' का एक केंद्रीकृत रिकॉर्ड नहीं बनाए रखा। इस संबंध में डेटा केवल उप-मंडलों के पास उपलब्ध है। इसके अलावा, वास्तविक आवश्यकता के अनुसार डीजी सेट की खरीद सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ द्वीपों में काफी अधिक क्षमता वाले डीजी सेट की खरीद के लिए जिम्मेदार कारणों का निम्नवत उल्लेख किया गया है: जलवायु परिस्थितियों के कारण डीजी सेट का अक्सर काम न करना, ओईएम सर्विस इंजीनियर और स्थानीय स्तर पर ओईएम कलपुर्जे की अनुपलब्धता तथा विद्युत उत्पादन और वितरण प्रणाली (पीजीडीएमएस) में कुछ डीजी सेट को अद्यतन न करना। इस प्रकार, विभाग को प्रचालनात्मक डीजी सेट इत्यादि के ख़राब होने के कारण अप्रत्याशित परिस्थितियों में ख़राब पड़े कुछ डीजी सेट को प्रचालित करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। समिति महसूस करती है कि संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार डीजी सेट की खरीद के लिए कोई ईमानदार प्रयास नहीं किया है। समिति का विचार है कि दूरदर्शिता और उचित आयोजना की कमी संभवतः उपर्युक्त समस्याओं का मुख्य कारण है। इसके अलावा, समिति का दृढ़ मत है कि समय पर उपचारात्मक कार्रवाई करके इन समस्याओं को बहुत अच्छे तरीके से रोका जा सकता था। समिति यह नोट करके भी आश्चर्यचकित है कि पीजीडीएमएस को कार्यान्वित करते समय, यूटी प्रशासन उपलब्ध/हटाए गए डीजी सेट के डेटा को अद्यतन करने में विफल रहा है जो पुनः उचित आयोजना की

कमी का संकेत है। समिति, पीजीडीएमएस में कुछ डीजी सेट को अद्यतन करने में विलंब के कारणों से अवगत होना चाहती है और सिफारिश करती है कि विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को उपयुक्त चेतावनी दी जाए और गलती करने वालों पर उचित कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी चूक की पुनरावृत्ति न हो। समिति यह भी सिफारिश करती है कि अब से, लक्षद्वीप प्रशासन को एक व्यवस्थित योजना का पालन करना चाहिए और योजना बनाते समय जलवायु परिस्थितियों, ओईएम सेवा इंजीनियरों / कलपुर्जों की उपलब्धता, पिछले प्रदर्शन के आधार पर डीजी सेट उपलब्ध कराने वाली एजेंसी की विश्वसनीयता जैसे सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावी दूरदर्शिता दिखानी चाहिए।

कलपुर्जों की अनुपलब्धता के कारण डीजी सेट की मरम्मत करने में आने वाली कठिनाइयों पर विचार करते हुए, समिति चाहती है कि यूटी प्रशासन, मंत्रालय के माध्यम से, डीजी सेट की नियमित निगरानी के लिए एक साधन तैयार करे ताकि मरम्मत और कलपुर्जों की समय पर खरीद को सुनिश्चित किया जा सके। सरकार को विभिन्न द्वीपों में स्थित पुराने डीजी सेट के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम भी शुरू करना चाहिए। इस संबंध में उठाए गए कदमों की वर्तमान स्थिति के संबंध में, समिति को बताया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में विद्युत क्षेत्र में सुधार चल रहे हैं। इनमें बिजली उत्पादन और वितरण में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना, नवीकरणीय और नई ऊर्जा का उपयोग, स्मार्ट मीटर का कार्यान्वयन आदि सम्मिलित हैं। समिति इस तरह की पहलों का स्वागत करती है और इन उपायों के परिणामों की प्रतीक्षा करेगी।

<u>थोक तेल भंडारण सुविधाएं और पारगमन में होने वाले नुकसान</u>

4. समिति यह नोट कर चिंतित है कि यद्यपि कवरत्ती (दिसंबर 2014) और मिनिकॉय (मार्च 2016) में क्रमशः ₹ 7.37 करोड़ रुपए और ₹ 10.48 करोड़ रुपए की लागत से थोक तेल भंडारण सुविधाएं पूरी की गई थीं, लेकिन उन्हें वर्ष 2016 में इस विषय की लेखापरीक्षा संवीक्षा के समय तक चालू नहीं किया गया था। इसका कारण आयल बार्ज की अनुपलब्धता को बताया गया है। थोक भंडारण सुविधाओं का अभाव और बेपोर, कालीकट से द्वीपों तक बैरल में डीजल के परिवहन के परिणामस्वरूप पारगमन हानि हुई थी। समिति यह समझने में असमर्थ

है कि जब विभाग को मुख्य भूमि से यूटीएल द्वीपों तक बैरल में तेल के परिवहन के गैर-पारंपरिक तरीकों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया था, तो एलईडी को थोक तेल भंडारण सुविधा को चालू करने से किसने रोका। समिति थोक तेल भंडारण सुविधा को चालू करने का काम शुरू करने में लक्षद्वीप प्रशासन के ढुलमुल रवैये से निराश है। मंत्रालय ने वर्ष 2019 में सूचित किया था कि यदि पोत परिवहन विभाग ने एचएसडी तेल के परिवहन के लिए उपयुक्त बार्ज बनाने के लिए कार्रवाई शुरू की होती तो भंडारण सुविधा उचित समय के भीतर चालू हो जाती। लेकिन, समिति को यह जानकार पूरी तरह से आश्चर्य हुआ कि ऐसा नहीं किया गया। समिति को अब सूचित किया गया है कि अगस्त, 2021 में कवरत्ती और मिनिकॉय द्वीपों में थोक तेल भंडारण डिपो और खुदरा दुकानों, भवन और अन्य प्रतिष्ठानों को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) को सौंप दिया गया है।समिति यह नोट करके क्षुब्ध है कि 2016 में लेखापरीक्षा द्वारा इस मुद्दे को इंगित किए जाने के बावजूद, थोक तेल भंडारण सुविधा को चालू नहीं किया गया है । समिति इस महत्वपूर्ण मामले को गंभीरता से नहीं लेने के लिए मंत्रालय/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के इस उदासीन रवैये की निंदा करती है। जाहिर है, मंत्रालय ने सही पहल तभी की है जब समिति द्वारा इस मामले को विचार के लिए उठाया गया था। इसलिए, समिति चाहती है कि सामान्य प्रशासन तत्काल और महत्वपूर्ण कार्रवाई करने में अधिक सावधानी बरतने और भविष्य में किसी भी घटना को रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील बनाए। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि कवरत्ती और मिनिकॉय में थोक तेल भंडारण डिपो संचालन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और बहुत जल्द इनके चालू होने की आशा है। आईओसीएल ने अन्य 7 द्वीपों में खुदरा आउटलेट स्थापित करने के लिए जमीनी कार्य भी शुरू कर दिया है, जिसके लिए स्थलों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस विषय पर साक्ष्य लेने के दौरान बताया गया कि यह काम अक्टूबर 2021 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा और इसकी जानकारी आईओसीएल को भी दे दी गई है। समिति महसूस करती है कि कार्यों की प्रगति में देरी के परिणामस्वरूप समय और लागत में और वृद्धि हुई। इसलिए, समिति लक्षद्वीप के सभी द्वीपों में थोक तेल भंडारण डिपो और खुदरा दुकानों के चालू होने पर सख्त निगरानी और नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पर

जोर देना चाहती है ताकि इन्हें समय बर्बाद किए बिना चालू किया जा सके।समिति चाहती है कि संसद में इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने के एक माह के भीतर इस संबंध में स्थिति से समिति को अवगत कराया जाए।

5. एचएसडी तेल के परिवहन के लिए एक बार्ज बनाने और पारगमन हानियों को समाप्त करने की वर्तमान स्थिति के संबंध में, समिति को सूचित किया गया है कि एमवी तिलकम, एक 700 मीट्रिक टन तेल बार्ज फरवरी, 2021 के दौरान सुपुर्द किया गया था। लोडिंग और डिस्चार्जिंग के परीक्षण के दौरान, मामूली रिसाव देखा गया था जिसे अब ठीक कर दिया गया है। बार्ज के संचालन और चार्टरिंग के लिए यूटीएलए, आईओसीएल और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) के बीच चर्चा हो रही है। समिति को यह जानकर खेद है कि यद्यपि तेल बार्ज फरवरी, 2021 के दौरान सुपुर्द कर दिया गया था और 2016 में लेखापरीक्षा द्वारा मामले को इंगित किए जाने के बाद से पांच साल बीत चुके हैं, बार्ज के संचालन और चार्टरिंग के संबंध में चर्चा अभी भी जारी है। इस प्रकार, समिति बार्ज के संचालन में देरी के लिए कड़ी निंदा करती है और चाहती है कि बार्ज के संचालन के लिए तत्काल उपाय शुरू किए जाएं। समिति चाहती है कि बार्ज के संचालन की वर्तमान स्थिति, जिस आधार पर 700 मीट्रिक टन की क्षमता के लिए एक तेल बार्ज बनाया गया था और क्या यह क्षमता लक्षद्वीप द्वीप समूह में बिजली उपलब्ध कराने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, इस बारे में भी समिति को अवगत कराया जाए।

डीजल का निर्गम और खपत

6. समिति ने पाया कि 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान, सब-डिवीजनों द्वारा निर्गत किए गए एचएसडी तेल और पावर स्टेशनों द्वारा खपत आंकड़ों के बीच विसंगतियां थीं, जिसके परिणामस्वरूप 2.75 करोड़ रुपये मूल्य के 4.89 लाख लीटर एचएसडी तेल, का भारी अंतर था।इस संबंध में, समिति को सूचित किया गया है कि बिजली उत्पादन के अलावा, एचएसडी तेल का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था जिस में अन्य सरकारी विभागों जैसे मत्स्यपालन, बंदरगाह, उप-मंडल कार्यालयों आदि द्वारा वास्तविक उद्देश्यों के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ वापसी योग्य आधार पर उपयोग शामिल था।समिति उन 'अन्य उद्देश्यों' से अवगत होना चाहेगी जिन के लिए अन्य विभागों को डीजल निर्गत किया गया है और क्या वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान ऐसा करना आवश्यक था। समिति चाहती है कि वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान सरकारी विभागों को ऋण आधार पर निर्गत किए गए और उनसे वापस प्राप्त हुए डीजल के अलग-अलग आंकड़ों से अवगत कराया जाए।समिति इस तरह की चूक से बचने के लिए मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए सुधारात्मक उपायों से भी अवगत होना चाहती है ताकि उप-मंडलों द्वारा डीजल की खपत निर्धारित सीमा के भीतर रखी जा सके।जैसा कि मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, मई, 2020 में प्रधान कार्यालय में एक सेल बनाया गया था, जिसमें दो नए भर्ती किए गए कर्मचारी थे, जिनके पास सॉफ्टवेयर और इन्वेंट्री प्रबंधन के कर्तव्यों में भाग लेने के लिए आईटी योग्यता थी। समिति का मत है कि मंत्रालय ने इस मुद्दे को तब तक गंभीरता से नहीं लिया जब तक कि लेखापरीक्षा द्वारा चूक को इंगित नहीं किया गया, और वह भी एक बड़े समय अंतराल के बाद। समिति ने इस महत्वपूर्ण

मामले से निपटने में संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की शिथिलता की निंदा की जिसके कारण 2016 तक 2.75 करोड़ रूपए का नुकसान हुआ। इसलिए, समिति चाहती है कि मंत्रालय लगातार और नियमित रूप से आंकड़ों की निगरानी और मिलान करे ताकि एचएसडी तेल का उपयोग केवल लक्षद्वीप में बिजली उत्पादन के उद्देश्यों के लिए किया जा सके और लक्षद्वीप विद्युत विभाग (एलईडी) में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपाय करने की सिफारिश की जा सके।

7. समिति ने पाया कि डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट)के मानकों के विपरीत, एलईडी ने डीजी सेटों के खराब प्रदर्शन के कारण वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक मानदंडों से 2.84 करोड़ रूपए के अधिक ईंधन की खपत की है। विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भी कहा जाता है कि इससे अधिक खपत हुई। समिति यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य है कि ओवरहालिंग में देरी और अक्षम, आऊटडेटेड और पुराने डीजी सेटों के संचालन ने स्थिति को और खराब कर दिया है। कम ईंधन की खपत करने वाले और ऐसी जलवायु परिस्थितियों में बेहतर काम करने वाले डीजी सेट विकसित करने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में, समिति को सूचित किया गया है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के वितरण, योजना और विकास प्रभाग से लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र को द्वीप-विशिष्ट डीजी सेटों की पहचान करने की सलाह देने का अनुरोध किया गया था, जो कम ईंधन की खपत करते हैं और द्वीपों की भौगोलिक स्थिति में बेहतर काम करते हैं।हालांकि, जिस तिथि को सीईए के सुझाव मांगे थे और इस बारे में भी कि क्या ये प्राप्त हुए हैं या नहीं मंत्रालय का उत्तर नहीं मिला है ।समिति को अब अवगत कराया गया है कि एलईडी पुराने डीजी सेटों को नए सेटों से बदलने की प्रक्रिया में है और अधिकांश अक्षम डीजी सेटों को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया गया है और इनके स्थान पर नए सेटों को लगा दिया गया है। समिति यह समझने में असमर्थ है कि

यह कार्रवाई देर से क्यों शुरू की गई। इसके अलावा, 7 डीजी सेट, जिन्होंने अपनी समयावधि से 15 साल से अधिक का समय पूरा कर लिया है, और उनका उपयोग अभी भी सीजन में चरम मांग को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि समिति इस संबंध में मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कदमों की सराहना करती है, वे इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मानकों के अनुसार ईंधन की खपत सुनिश्चित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए थे। यदि मंत्रालय के आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा इस तरह के मुद्दे पर ध्यान दिया गया होता, तो मानदंडों से अधिक ईंधन की खपत के लिए किए गए 2.84 करोड़ रूपए के नुकसान से बचा जा सकता था। इसलिए, समिति चाहती है कि मंत्रालय अपने आंतरिक लेखा परीक्षा स्कंध के कार्यकलापों की समीक्षा करे ताकि ऐसी गलतियों का पता लगाया जा सके और इनमें समय रहते सुधार किया जा सके। तथापि, पुराने तथा अक्षम डीजी सेट को चरणबद्ध तरीके से हटाने और पुराने सेटों के स्थान पर नए सेट लगाने के लिए उठाए गए कदम को ध्यान में रखते हुए, समिति ने सभी द्वीपों में डीपीआर के अनुसार ईंधन की खपत में दक्षता हासिल करने की वर्तमान स्थिति के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की है। समिति, मंत्रालय से पुरजोर सिफारिश करती है कि वह बिना कोई और समय गंवाए लक्षद्वीप के सभी द्वीपसमूहों का विद्युतीकरण करना सुनिश्चित करने के दृष्टिगत कम-से-कम अब सभी सुधारात्मक उपाय करे।

<u>उच्च पारेषण और वितरण नुकसान</u>

8. समिति नोट करती है कि वर्ष 2004 की डीपीआर ने दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के अंत तक टीएंडडी नुकसान को 10.8% से घटाकर 8% तक करने पर अधिक बल देने की सिफारिश की। इस लक्ष्य को वर्ष 2016 तक

हासिल नहीं किया जा सका था जिसके कारण अकेले चार द्वीपों में 10.38 करोड़ रूपए के टीएंडडी का नुकसान हुआ। मंत्रालय द्वारा इस चूक के लिए पैकेज ट्रांसफॉर्मर, रिंग मेन यूनिट का गैर-संस्थापन, उपभोक्ताओं के लिए भूमिगत केबल का रूपातंरण/बिछाना आदि को कारण बताय गया है। तथापि, 108 सब स्टेशनों में से 69 सब स्टेशनों को या तो पैकेज्ड सब स्टेशन (4) में परिवर्तित कर दिया गया है या उन्हें रिंग मेन यूनिट (29) उपलब्ध कराया गया है। समिति को शेष सब स्टेशनों के परिवर्तन की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जाए। समिति को बताया गया है कि विभाग वास्तविक टीएंडडी हानि संबंध ब्यौरे हासिल करने के लिए स्मार्ट मीटरिंग लागू करने की योजना बना रहा है। इस उद्देश्य के लिए, इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इनफ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआईआईएफ) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, को लक्षद्वीप में स्मार्ट मीटरिंग प्रोग्राम लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है और इस संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को प्रक्रियाधीन बताया जा रहा है। वे विभाग/विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदन किए जाने के एक वर्ष के भीतर परियोजना को लागू करेंगे। समिति यह नोट करके निराश है कि मंत्रालय के उत्तर में उस तिथि के संबंध में फिर से कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिस दिन से लक्षद्वीप में स्मार्ट मीटरिंग के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी इंटेलीस्मार्ट को दी गई थी और क्या विभाग/विद्युत मंत्रालय द्वारा तब से अनुमोदन प्राप्त किया गया है और प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी । समिति को यथाशीघ्र इन ब्यौरों से अवगत कराया जाए। समिति यह नहीं समझ पा रही है कि स्मार्ट मीटर प्रोग्राम के कार्यान्वयन के लिए इंटेलीस्मार्ट को कार्य सौंपने के लिए कोई अग्रिम कार्रवाई क्यों नहीं की गई जिसकी लक्षद्वीप में बिजली क्षेत्र में सुधार लाने के लिए बहुत आवश्यकता थी। अब, समिति आशा करती है कि इंटेलीस्मार्ट के साथ प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए ताकि स्मार्ट मीटर कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कोई दिक्कत नहीं आए। गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि ने समिति के समक्ष बताया कि इंटेलीस्मार्ट के माध्यम से मंत्रालय तत्काल मशीनों का प्रापण करेगा और अगले छह माह में इसे पूरा कर लेंगे। चूंकि टीएंडडी के नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट मीटर की संस्थापना एक आवश्यक उपकरण है, समिति इस बात पर

जोर देती है कि मंत्रालय को समयबद्ध तरीके से स्मार्ट मीटर के प्रापण, संस्थापन और रख-रखाव की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए।

सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र

9. समिति यह जानकर क्षुब्ध है कि 12 एसपीवी संयंत्रों में से चार पिछले तीन वर्ष से अधिक समय से काम नहीं कर रहे थे जबकि दो का नवीनीकरण चल रहा है। समिति यह भी पाती है कि अमिनी में संयंत्र के मामले में, उपकरण की सुपुर्दगी के तीन वर्षों के बाद ही भूमि का अधिग्रहण किया गया था और तत्पश्चात सिविल कार्यों को पूरा करने में और चार वर्षों का विलंब हुआ जिसके कारण एसपीबीएस की स्थिति खराब हो गई थी। समिति इस मुद्दे से निपटने में मंत्रालय/लक्षद्वीप प्रशासन के ढुलमुल रवैये पर निराशा व्यक्त करती है जिसके परिणामस्वरूप कई वर्षों तक एसपीवी संयंत्रों की संस्थापना नहीं हुई। समिति चाहती है कि मंत्रालय ऐसी निराशाजनक स्थिति के लिए जिम्मेदार कारणों की गहन जांच करे और एसपीवी संयंत्रों को प्रचालनरत बनाने के लिए तत्काल उपाय करे। समिति यह नोट करके निराश है कि यद्यपि एसपीवी संयंत्र खरीदने का आदेश देने से पूर्व एलईडी अनिवार्य तटीय नियामक क्षेत्र मंजूरी और भूमि अधिग्रहण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थी, लेकिन एलईडी ऐसा करने में विफल रही। इसके अलावा, एसपीवीएस के खराब रख-रखाव ने भी समस्या को बढ़ा दिया। समिति को आश्चर्य है कि भूमि आवंटन के बिना ही मंत्रालय द्वारा एसपीवीएस की खरीद कैसे की गई जिसके कारण अंततः एसपीवीएस संस्थापित नहीं होने के कारण स्थिति खराब हो गई। इस मामले में, मंत्रालय की विफलता की आलोचना करते हुए समिति सिफारिश करती है कि मामले की जांच की जाए और उक्त चूकों के लिए जिम्मेदारी तय की जाए। चूंकि लक्षद्वीप में एसपीवी पैनलों की संस्थापना `गैर-डीजल बिजली` के उत्पादन में एक आवश्यक भूमिका निभाएगी, मंत्रालय को आगे से द्वीप में एसपीवी का समय से प्रापण, संस्थापना और रख-रखाव के लिए सभी उपाय करने चाहिए।

अब, जबकि समिति ने इस विषय को जांच हेतु ले लिया है, बिजली विभाग ने मौजूदा ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी सिस्टम की क्षमता बढ़ाने के लिए

अगस्त, 2018 में भारतीय सौर ऊर्जा सहयोग निगम (एसईसीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ओएंडएम सहित एसपीवी संयंत्र हेतु कार्य को जुलाई, 2020 में 10 वर्षों के लिए एसईसीआई को दे दिया गया है। एसईसीआई ने पहले चरण में कवरत्ती, अगात्ती, बंगाराम और थिन्नकार में 2.15 मेगावाट बीईएसएस के साथ कुल 1.9 मेगावाट क्षमता वाले संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। तथापि यूटीएलए ने बिजली उत्पादन और वितरण के 100 प्रतिशत निजीकरण का फैसला किया और यूटीएलए द्वारा एक प्रारूप आरएफपी तैयार किया गया। प्रारूप आरएफपी की प्रमुख विशेषताओं में से एक द्वीपों को डीजल रहित बनाना और दो वर्ष की अवधि में 100% नवीकरणीय ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करना है। समिति, इन उपायों के कार्यान्वयन के विवरण की प्रतीक्षा करेगी। समिति, बिजली उत्पादन और आपूर्ति के निजीकरण के साथ-साथ पहले चरण में एसईसीआई द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित संयंत्रों की वर्तमान स्थिति से भी अवगत होना चाहती है। समिति यह भी चाहती है कि इन उपायों को अक्षरशः कार्यान्वित किया जाए, जिससे निश्चित रूप से भविष्य में लक्षद्वीप द्वीप समूहों में बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में बहुत मदद मिलेगी। समिति को इससे प्राप्त परिणामों से अवगत कराया जाए।

<u>ऊर्जा लेखापरीक्षा</u>

10. समिति पाती है कि जेईआरसी टैरिफ विनियम, 2009 में एलईडी द्वारा नियमित ऊर्जा लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि टीएंडडी नुकसान के अपने अनुमान को प्रमाणित किया जा सके और छमाही आधार पर जेईआरसी को रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। समिति पाती है कि एलईडी ने 2016 तक कोई ऊर्जा

लेखापरीक्षा नहीं की थी। ऊर्जा लेखापरीक्षा के अभाव में, बिजली क्षेत्र में दक्षता में सुधार के उद्देश्यों और मंत्रालय द्वारा उस संबंध में की गई अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जा सकी। इससे भी मंत्रालय कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी करने और व्यवस्था व प्रक्रिया में अपेक्षित सुधार करने में नाकाम रहा। अब समिति को बताया गया है कि मंत्रालय ने ऊर्जा संबंधी लेखापरीक्षा करने का ठेका सितम्बर, 2018 में मैसर्स आरएसए एंड कं. को दे दिया था। अध्ययन पूरा कर लिया गया है और रिपोर्ट फरवरी, 2021 में प्रस्तुत कर दी गई है। ऊर्जा संबंधी लेखापरीक्षा में की गई सिफारिशों पर कार्रवाई की गई है; यथा बिजली घरों में मीटरों का समय-समय पर परीक्षण और उनमें संशोधन करना, 11 केवी वाले सभी फीडरों को मीटर मुहैया कराना, फीडरवाइज कंज्यूमर इंडेक्सिंग करना, नियमित रूप से मीटरों की रीडिंग लेना, स्ट्रीट पोलों पर नम्बर डालना, `उपभोक्ता परिसरों` में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटरों की शुद्धता की जांच करने के लिए सीएमआरआई और स्टैण्डर्ड रिफ्रेन्स मीटर्स का उपयोग करना और मीटरों से डाटा डाउनलोड करना आदि-आदि। इस दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए समिति चाहती है कि गृह मंत्रालय, ऊर्जा संबंधी, लेखापरीक्षा में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी करें और व्यवस्था व प्रक्रिया में अपेक्षित सुधार लाए जिससे कि लक्षद्वीप द्वीपसमूह में पूर्ण विद्युतीकरण के उद्देश्य को यथाशीघ्र हासिल किया जा सके।

विद्युतीकरण के वैकल्पिक उपाय

11. समिति पाती है कि संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में विद्युत उत्पादन महंगा है और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) के अनुमान के मुताबिक 2.85 रूपए प्रति केडब्ल्यूएच के बाजार मूल्य की तुलना में वर्ष 2015-16 में यहां इसकी

औसतन लागत 30.76 रूपए प्रति केडब्ल्यूएच है। चूंकि एलईडी की औसतन राजस्व उगाही केवल 2.64 रूपए प्रति यूनिट है, इसलिए विद्युत आपूर्ति में राजस्व अंतराल 91.99 करोड़ रूपए का बताया गया है जो जेईआरसी से अनुमोदित है। समिति यह नोट करके आश्चर्यचकित है कि जून, 2006 में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से यूटीएल में उत्पादन के पर्यावरण अनुकूल और सस्ते तरीके अपनाने का मार्ग तलाशने का अनुरोध करने और बाद में मंत्रालय की ओर से उठाए जा रहे भिन्न-भिन्न कदमों के बावजूद मौजूदा ग्राउण्ड माउन्टेड सोलर पीवी सिस्टम और रूफ टॉप सोलर पीवीसिस्टम को पुनः मजबूत करने के साथ-साथ सोलर फोटोवोल्टेयिक पैनल सिस्टम को शुरू करने की परियोजना अभी तक पूरी नहीं हुई है। समिति यह जानकर क्षुब्ध है कि मंत्रालय ने विद्युतीकरण के वैकल्पिक उपायों को तलाश करने/उन्हें स्थापित करने में 15 वर्षों से भी अधिक का विलंब होने के कोई स्पष्ट कारण नहीं बताए हैं केवल इतना ही बताया है कि कोविड महामारी के वजह से अवरोध उत्पन्न हुआ है। इस मामले में मंत्रालय के उदासीन रवैये पर समिति अपनी नाराजगी जाहिर करती है। चूंकि, एसपीवी पैनलों के लगाने में विलंब होने से लक्षद्वीप प्रशासन को डीजी सेटों से महंगी लागत पर विद्युत उत्पादन के लिए बाध्य होना पड़ा था, इसलिए समिति सिफारिश करती है कि गृह मंत्रालय/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इस तरह की निराशाजनक स्थिति के कारणों की गहन जांच पड़ताल करें। मंत्रालय को संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में विद्युत उत्पादन और उसकी आपूर्ति में ऊर्जा अंतराल को पाटने की रणनीति बनानी चाहिए। अब समिति को बताया गया है कि लक्षद्वीप में विद्युत उत्पादन और वितरण के कार्य का निजीकरण करने की प्रक्रिया को देखते हुए संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने उन सौर विद्युत परियोजनाओं को स्थगित करने का निर्णय किया है जिन्हें अभी तक चालू नहीं किया गया है। समिति चाहती है कि मंत्रालय, लक्षद्वीप में बिजली के निजीकरण के मामले में तत्परता से कार्रवाई

करें जिससे यह प्रक्रिया और विलम्ब किए बिना पूरी हो सके। समिति चाहती है कि इस संबंध में की गई कार्रवाई से उसे अवगत कराया जाए।

12. कुल मिलाकर, पूर्वगामी पैराग्राफों में बताए गए तथ्यों से इस बात का खुलासा हुआ है कि लक्षद्वीप द्वीपसमूहों में विद्युत उत्पादन और वितरण में अनेक कमियां हैं। लक्षद्वीप द्वीपसमूह में सस्ती दरों पर बिजली मुहैया कराने का प्राथमिक लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। डीजी सेटों की वास्तविक जरूरतों का आकलन करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। थोक भंडारण की सुविधाएं शुरू नहीं हो पाई हैं और डीजल का उपभोग भी मानदंडों से अधिक है; पारेषण और वितरण में होने वाले नुकसान 8% से अधिक है; स्थापित एसपीवी संयंत्र काम नहीं कर रहे हैं और जेईआरसी के निर्देशों पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई है, आदि-आदि। विद्युतीकरण के वैकल्पिक उपायों की तलाश भी नहीं हो पायी है। समिति को यह नोट करके खेद है कि लक्षद्वीप प्रशासन अपने द्वीपों में विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल करने में पूरी तरह सफल नहीं रहा। समिति को अब बताया गया है कि यूटीएलए ने विद्युत उत्पादन और इसके वितरण का शत-प्रतिशत निजीकरण करने का निर्णय किया है जिससे क्षमता में इजाफा होगा, पारेषण और वितरण में होने वाले नुकसान में कमी आएगी, डीजल आधारित विद्युत उत्पादन के बजाय अब नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन होगा और लेखापरीक्षा में उद्धृत की गई अन्य समस्याएं दूर होंगी।

लक्षद्वीप द्वीप समूह के विद्युतीकरण की शुरूआत दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, किंतु इससे सबंधित कई सारे मामलों का हल अभी भी निकाला जाना है। समिति इस द्वीपों में बिजली उत्पादन व वितरण के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरी तरह से हासिल करने में मंत्रालय/लक्षद्वीप प्रशासन की नाकामी को गंभीरता से लेती है। समिति चाहती है कि रिपोर्ट में

बताए गए तथ्यों और दिए गए सुझावों के आलोक में सरकार, संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में विद्युत के प्रभावी उत्पादन, पारेषण और उसके वितरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए अब सुधारात्मक कार्रवाई करे, भविष्य में ऐसी चूकों से बचें और आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करे।

नई दिल्ली;
मार्च, 2022
फाल्गुन, 1943 (शक)

अधीर रंजन चौधरी
सभापति,
लोक लेखा समिति

लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति-एक (सिविल) की 01 सितंबर, 2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश

उप-समिति की बैठक शुक्रवार, 01 सितम्बर, 2021 को 1500 बजे से 1630 बजे तक समिति कक्ष-दो, संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री शक्तिसिंह गोहिल - संयोजक

सदस्य

लोक सभा

2. श्री टी.आर. बालू
3. श्री राहुल रमेश शेवाले

सचिवालय

1. श्री टी. जी. चन्द्रशेखर - संयुक्त सचिव
2. श्री तीर्थंकर दास - निदेशक
3. श्रीमती अंजु कुकरेजा - उप सचिव

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के अधिकारी

1. श्री राज गणेश विश्वनाथन - उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (वाणिज्यिक समन्वय और स्थानीय निकाय)
2. श्री एल.ए.सी. सिंह - उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (रिपोर्ट सेंट्रल)
3. श्रीमती गीता मेनन - महानिदेशक (वाणिज्यिक)-एक
4. श्रीमती रितिका भाटिया - महानिदेशक (वाणिज्यिक)-दो
5. श्री अशोक सिन्हा - एजीए (गृह)
6. श्री एस. वी. सिंह - पी.डी(पी.सी)

2. सर्वप्रथम, माननीय संयोजक, उप-समिति-एक (सिविल) ने सदस्यों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के अधिकारियों का इस उप-समिति की बैठक में स्वागत किया, जिन्हें लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित विषयों - (एक) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2019 के प्रतिवेदन संख्या 14 पर आधारित "प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना", (दो) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2017 के प्रतिवेदन संख्या 8 के पैरा संख्या 2.13 के आधार पर "लक्षद्वीप द्वीपसमूह में बिजली का उत्पादन और वितरण" और (तीन) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2021 के प्रतिवेदन संख्या 2 के पैरा संख्या 10.1 के आधार पर "स्रोत पर कर की कटौती नहीं करना" पर जानकारी देने के लिए बुलाया गया था।

3. तत्पश्चात, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकारियों ने एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया और उप-समिति को "प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना" पर 2019 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 14 में अंतर्विष्ट लेखापरीक्षा टिप्पणियों के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा, अधिकारियों ने बताया कि मंत्रालय ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में की गई सभी 12 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

4. सदस्यों ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा की-गई कार्रवाई की स्थिति पर कुछ स्पष्टीकरण की मांग की। इसके अतिरिक्त, सदस्यों ने लेखापरीक्षा द्वारा अपनी टिप्पणियों के बाद तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा शुरू किए गए कार्यों; किसी

महिला के नाम पर एक से अधिक कनेक्शन से बचने के लिए एलपीजी सिलेंडर के वितरकों द्वारा आधार नंबर की सीडिंग का ब्यौरा; दोहराव दूर करना; सिलेंडर की डिलीवरी में विलंब; ओएमसी द्वारा सुरक्षा उपायों का अनुपालन और निगरानी; सेवाओं के बेहतर वितरण के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ऐप का उपयोग; और पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को सब्सिडी का हस्तांतरण न करने के मुद्दे के बारे में जानकारी मांगी ।

5. तत्पश्चात, लेखापरीक्षा अधिकारियों ने **"स्रोत पर कर की कटौती नहीं करना"** संबंधी 2021 के प्रतिवेदन संख्या 2 के पैरा संख्या 10.1 में की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों पर उप-समिति को जानकारी दी। लेखापरीक्षा ने बताया कि तीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से भुगतान से स्रोत पर कुल 7.21 करोड़ रु कर की कटौती नहीं की गई जो ग्रामीण विकास मंत्रालय को आयकर अधिनियम की धारा 201 के अनुसार ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाता है।

6. सदस्यों ने निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने में ग्रामीण विकास मंत्रालय की असफलता और ऐसी चूक के लिए जिम्मेदार मंत्रालय के अधिकारी के खिलाफ जिम्मेदारी तय करने के लिए शुरू की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी।

7. तत्पश्चात, लेखापरीक्षा अधिकारियों ने **"लक्षद्वीप द्वीपसमूह में बिजली का उत्पादन और वितरण"** विषय पर 2017 के प्रतिवेदन संख्या 8 के पैरा संख्या 2.13 में की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों पर उप-समिति को जानकारी दी। लेखापरीक्षा ने डीजी सेटों की अतिरिक्त क्षमता की स्थापना, कवरत्ती और मिनिकॉय में थोक तेल भंडारण सुविधाओं का शुरू न होना जिसके परिणामस्वरूप 2.65 करोड़ रुपये की पारगमन हानि हुई और उच्च पारगमन और वितरण हानियों के कारण मानकों से अधिक डीजल की खपत और परिहार्य व्यय आदि जैसे मुद्दों को इंगित किया।

8. सदस्यों ने पारगमन और वितरण हानियों की जांच के लिए प्राधिकारियों द्वारा शुरू किए गए कार्यों; डीजल के भंडारण और चोरी पर रोक लगाने; थोक तेल भंडारण सुविधाओं को चालू करने और मुख्य भूमि पर बार्ज की उपलब्धता आदि की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी ।

9. तत्पश्चात, लेखापरीक्षा के सुझाव पर विचार करते हुए, उप-समिति ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2019 के प्रतिवेदन संख्या 14 पर आधारित **"प्रधानमंत्री उज्वला योजना"** (पीएमयूवाई) विषय पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय/तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लेने के लिए अपनी अगली बैठक 13 सितंबर, 2021 को आयोजित करने का निर्णय लिया।

10. तत्पश्चात, संयोजक ने उपरोक्त विषयों पर उप-समिति को जानकारी देने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के अधिकारियों को धन्यवाद दिया।

<u>तत्पश्चात, उप-समिति की बैठक स्थगित हुई।</u>

परिशिष्ट - दो

लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति-एक (सिविल) की 07 अक्तूबर, 2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश

उप-समिति की बैठक गुरूवार, 07 अक्तूबर, 2021 को 1530 बजे से 1640 बजे तक समिति कक्ष `डी`, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री शक्तिसिंह गोहिल - संयोजक

सदस्य

लोक सभा

2. श्री टी. आर. बालू

लोक सभा सचिवालय

1. श्री टी. जी. चन्द्रशेखर - संयुक्त सचिव
2. श्री तीर्थंकर दास - निदेशक
3. श्रीमती अंजु कुकरेजा - उप सचिव

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के अधिकारी

1. श्री राज गणेश विश्वनाथन, उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (वाणिज्यिक समन्वय और स्थानीय निकाय) और चेयरमैन, लेखापरीक्षा बोर्ड
2. श्रीमती गीता मेनन, महानिदेशक (वाणिज्यिक) - एक
3. श्री एस. वी. सिंह, प्रधान निदेशक (पीसी)

गृह मंत्रालय के अधिकारी

1. श्री अजय कुमार भल्ला, सचिव
2. श्री आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र)
3. श्री ए. अंबारासु, प्रशासक, लक्षद्वीप के सलाहकार
4. श्री सुशील सिंह, सचिव (विद्युत), लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र

स्थापना, कवरत्ती और मिनिकॉय में थोक तेल भंडारण सुविधाओं का शुरू न होना जिसके परिणामस्वरूप 2.65 करोड़ रुपये की पारगमन हानि हुई और उच्च पारगमन और वितरण हानियों के कारण मानकों से अधिक डीजल की खपत और परिहार्य व्यय आदि जैसे मुद्दों को इंगित किया।

8. सदस्यों ने पारगमन और वितरण हानियों की जांच के लिए प्राधिकारियों द्वारा शुरू किए गए कार्यो; डीजल के भंडारण और चोरी पर रोक लगाने; थोक तेल भंडारण सुविधाओं को चालू करने और मुख्य भूमि पर बार्ज की उपलब्धता आदि की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी ।

9. तत्पश्चात, लेखापरीक्षा के सुझाव पर विचार करते हुए, उप-समिति ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2019 के प्रतिवेदन संख्या 14 पर आधारित **"प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना"** (पीएमयूवाई) विषय पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय/तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लेने के लिए अपनी अगली बैठक 13 सितंबर, 2021 को आयोजित करने का निर्णय लिया।

10. तत्पश्चात, संयोजक ने उपरोक्त विषयों पर उप-समिति को जानकारी देने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के अधिकारियों को धन्यवाद दिया।

<u>तत्पश्चात, उप-समिति की बैठक स्थगित हुई।</u>

परिशिष्ट - तीन

लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति-एक (सिविल) की 08 फरवरी, 2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश

उप-समिति की बैठक मंगलवार, 08 फरवरी, 2022 को 1500 बजे से 153 0बजे तक समिति कक्ष `डी`, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री शक्तिसिंह गोहिल - संयोजक

सदस्य

लोकसभा

2. श्री टी. आर. बालू
3. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
4.श्री राहुल रमेश शेवाले

लोक सभा सचिवालय

1. श्री टी. जी. चन्द्रशेखर - संयुक्त सचिव
2. श्री तीर्थंकर दास - निदेशक
3. श्रीमती अंजु कुकरेजा - उपसचिव

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के अधिकारी

1. श्री राकेश मोहन - उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2. श्री प्रवीर पांडेय - महानिदेशक
3. श्रीमती गीता मेनन - महानिदेशक
4. श्री एस. वी. सिंह - महानिदेशक

2. सर्वप्रथम, उप-समिति–एक (सिविल) के माननीय संयोजक ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वर्ष 2017के प्रतिवेदन संख्या 8 के पैरा 2.13 पर आधारित **"लक्षद्वीप द्वीपसमूह में बिजली का उत्पादन और वितरण"** विषयक प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने और उसे स्वीकार करने हेतु आयोजित उप-समिति की बैठक में सदस्यों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के अधिकारियों का स्वागत किया। प्रारूप प्रतिवेदन की पूरी जानकारी देने के बाद उन्होंने उपर्युक्त विषय से संबंधित प्रारूप प्रतिवेदन में उप-समिति के प्रमुख निष्कर्षों और की गई महत्वपूर्ण सिफ़ारिशों पर प्रकाश डाला।

3. उप-समिति ने, कुछ विचार-विमर्श करने के पश्चात, प्रारूप प्रतिवेदन को स्वीकार किया। समिति ने संयोजक को लेखापरीक्षा द्वारा किए गए तथ्यात्मक सत्यापन के आधार पर प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने और इसे लोक लेखा समिति के समक्ष रखने हेतु प्राधिकृत भी किया।

4. तत्पश्चात् संयोजक ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के अधिकारियों को धन्यवाद दिया।

तत्पश्चात् उप-समिति की बैठक स्थगित हुई।

परिशिष्ट - चार

लोक लेखा समिति (2021-22) की 10 फरवरी, 2022 को हुई दसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

लोक लेखा समिति की बैठक गुरुवार, 10 फरवरी, 2022 को 1500 बजे से 1555 बजे तक मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री अधीर रंजन चौधरी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
3. श्री भर्तृहरि महताब
4. श्री विष्णु दयाल राम
5. श्री राहुल रमेश शेवाले
6. डॉ. सत्यपाल सिंह
7. श्री राजीव रंजन सिंह `ललन`
8. श्री जयंत सिन्हा
9. श्री राम कृपाल यादव

राज्य सभा

10. श्री शक्तिसिंह गोहिल
11. श्री भुबनेश्वर कालिता
12. डॉ. सी.एम. रमेश
13. श्री वि. विजयसाई रेड्डी
14. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी

लोक सभा सचिवालय

1. श्री टी.जी.चन्द्रशेखर – संयुक्त सचिव
2. श्री तीर्थंकर दास - निदेशक
3. श्री एस.आर. मिश्रा - निदेशक
4. श्रीमती भारती एस. टुटेजा – अपर निदेशक

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक कार्यालय के प्रतिनिधि

1. श्री राकेश मोहन - उप नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
2. श्री राज गणेश विश्वनाथन - उप नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
3. श्रीमती रितिका भाटिया – महानिदेशक

भाग-एक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में समिति के सदस्यों तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक कार्यालय के अधिकारियों का स्वागत किया। तत्पश्चात, उन्होंने समिति के समक्ष निम्नलिखित तीन कार्यसूची मदों से सदस्यों को अवगत कराया।

एक. XXXX XXXX XXXX

दो. XXXX XXXX XXXX

तीन. 4 प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करना और उसे स्वीकार करना।

3. XXXX XXXX XXXX
4. XXXX XXXX XXXX
5. XXXX XXXX XXXX
6. XXXX XXXX XXXX
7. XXXX XXXX XXXX
8. तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित प्रतिवेदनों को विचारार्थ लिया:

एक. XXXX XXXX XXXX

दो. XXXX XXXX XXXX

तीन. **लक्षद्वीप द्वीपसमूह में विद्युत का उत्पादन और वितरण** संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन

चार. XXXX XXXX XXXX

9. XXXX XXXX XXXX

10. कुछ विचार-विमर्श के पश्चात, समिति ने उपर्युक्त चार प्रतिवेदनों को बिना किसी परिवर्तन/संशोधन के स्वीकार किया। समिति ने तथ्यात्मक सत्यापन के आधार पर उपर्युक्त प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उसे माननीय अध्यक्ष/संसद को प्रस्तुत करने के लिए सभापति को प्राधिकृत भी किया।

भाग-दो

11. XXXX XXXX XXXX
12. XXXX XXXX XXXX
13. XXXX XXXX XXXX
14. XXXX XXXX XXXX
15. XXXX XXXX XXXX

तत्पश्चात, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

समिति की बैठक की कार्यवाही की ऑडियो रिकॉर्डिंग की प्रतिलिपि की एक प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।